इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2016—आश्विन 8, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. ई-1-119-2016-5-एक.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च 2016 द्वारा श्री संजय गुप्ता, भा.प्र.से. (2007) को दिनांक 1 अप्रैल 2016 से 6 माह के जिला प्रशिक्षण के लिए विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कलेक्टोरेट, जबलपुर पदस्थ किया गया है, तत्पश्चात् समसंख्यक पत्र दिनांक 15 जून 2016 द्वारा उक्त 26 सप्ताह का जिला प्रशिक्षण संशोधित कर 20 सप्ताह किया गया है.

(2) श्री संजय गुप्ता का जिला प्रशिक्षण दिनांक 30 सितम्बर 2016 को पूर्ण हो रहा है. श्री संजय गुप्ता को शेष प्रशिक्षण कलेक्टोरेट, जबलपुर के स्थान पर कलेक्टोरेट, भोपाल में लेने हेतु संबद्ध किया जाता है.

क्र. ई-5-594-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रमोद अग्रवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 5 से 22 अक्टूबर 2016 तक अठारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. ई-5-573-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 द्वारा दिनांक 8 से 28 अगस्त 2016 तक इक्कीस दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 8 से 23 अगस्त 2016 तक सोलह दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2016 अनुसार यथावत.

क्र. ई-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2016 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 6 एवं 19, 20 नवम्बर 2016 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न संचालक, कौशल विकास संचालनालय तथा संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 3 से 10 अक्टूबर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 11, 12 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऑन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1-57-2016-ब-2-दो.—श्री विनायक वर्मा, भापुसे., सहायक पुलिस अधीक्षक (परि.) महारापुरा, ग्वालियर को मारीशस जाने हेतु दिनांक 26 से 30 अप्रैल 2016 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश के साथ निजी विदेश यात्रा (Ex-India leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

(1) विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(2) विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(3) विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(4) स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)101-16-ब-2-दो.—श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) सेनानी 6वी वाहिनी, विसबल, जबलपुर ने दिनांक 22 अगस्त 2016 से 5 सितम्बर 2016 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सेनानी 6वी वाहिनी, विसबल, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कार्तिकेयन के., भा.पु.से. (परि.) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 1(ए)155-93-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्त/ओएसडी, संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं प्रभारी सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा स्वयं का उपचार बाम्बे हॉस्पिटल, मुंबई में कराने हेतु दिनांक 11 से 12 अगस्त 2016 तक दो दिवस चिकित्सा अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चार दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-2980-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 39, 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"39.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.	श्री प्रदीप सोनी (सीनियर), अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.
46.	इन्दौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्र. 6, इन्दौर.	श्री सुरेश रणदिवे, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 6, इन्दौर."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-2980-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 39, 46 and entries relating thereto, the following serial

numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4, Gwalior.	Shri Pradeep Soni (Sr), Additional Sessions Judge, Special Court No. 4, Gwalior.
46.	Indore	Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore.	Shri Suresh Randive, Additional Sessions Judge, Special Court No. 6, Indore."

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-2980-2016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

स. क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
" 38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 3, ग्वालियर.	सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 39 एवं डबरा के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
39.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्र. 4, ग्वालियर.	सिविल जिला ग्वालियर का उत्तर संभाग गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत् क्षेत्र."

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)-2980-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial numbers 38 & 39 and entries relating thereto, the following serial number and entrie relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3 Gwalior.	All electricity area of Civil District Gwalior (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at Serial Number 39 & Dabra).
39.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 4 Gwalior.	North Division of Civil District Gwalior & Electri-city area of Goal Pahadia and Shinde ki Chawni."

फा. क्र. 17-(ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3023-2016.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. ब(एक)-3476-

2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 एवं 41 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
"17.	इन्दौर	श्री संतोष प्रसाद शुक्ला, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर.
22.	गरोठ (मंदसौर)	श्री शशेन्द्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंदसौर.
23.	मुरैना	श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुरैना.
24.	नरसिंहपुर	श्री प्रेम कुमार सिन्हा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, नरसिंहपुर.
30.	रीवा	श्री रामजी गुप्ता, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रीवा.
32.	सतना	श्री गोपाल श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सतना.
33.	सीहोर	श्री बी. एस. भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, सीहोर.
41.	टीकमगढ़	डॉ. सुभाष कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, टीकमगढ़".

(2) यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करें.

F.No. 17 (E)-44-2013-XXI-B(One)-3023-2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification F. No. B (1) 3476-2013, dated 11th September 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 20th September 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial number 17, 22, 23, 24, 30, 32, 33 & 41 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name & Designation of the Judge (3)
"17.	Indore	Shri Santosh Prasad Shukla, V th Additional Session Judge, Indore.
22.	Garoth (Mandsaur)	Shri Shashendra Singh Thakur, Additional Session Judge, Garoth (Mandsaur).
23.	Morena	Shri Ramesh Kumar Shrivastava, IInd Additional Session Judge, Morena.
24.	Narsinghpur	Shri Prem Kumar Sinha, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Narsinghpur.
30.	Rewa	Shri Ramji Gupta, IInd Additional Session Judge, Rewa.
32.	Satna	Shri Gopal Shrivastava, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Satna.
33.	Sehore	Shri B. S. Bhadoriya, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Sehore.
41.	Tikamgarh	Dr. Subhesh Kumar Jain, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Tikamgarh".

(2) This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-3282.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को पीठासीन अधिकारी, कुटुम्ब न्यायालयों के पद पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अथवा आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम	पदस्थापना	62 वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हरिशंकर वैश्य	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी	20-10-2018
2	श्री अब्दुल जब्बार खान	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	5-11-2018
3	कु. भारती बघेल	जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर	9-11-2018
4	श्री सुरेश रणदिवे	अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय विद्युत् अधिनियम, इन्दौर.	20-11-2018

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 17(ई) 43/2009-इक्कीस-ब(एक)-3113-2016.—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)-13, दिनांक 10 मई 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करता है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 11, 13, 14, 30, 37 एवं 81 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	श्री विकास शुक्ला, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड	भिण्ड
13.	श्री अजय सिंह ठाकुर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
14.	कु. सविता जडिया, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	बैरसिया	भोपाल	बैरसिया	बैरसिया
30.	श्री राजेश शर्मा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2.	गुना	गुना	गुना	गुना
37.	श्री आशुतोष अग्रवाल, इक्कीसवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1.	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर
81.	श्री दारासिंह मण्डलोई, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1	महिदपुर	उज्जैन	महिदपुर	महिदपुर.".

F.No. 17 (E)-43-2009-XXI-B(One)-3113-2016.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E)-43-2009-XXI-B(One)-2251-13, dated 10th May 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification in the Table for serial numbers 11, 13, 14, 30, 37 and 81 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate Level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	Shri Vikash Shukla, IV Civil Judge-II	Bhind	Bhind	Bhind	Bhind
13.	Shri Ajay Singh Thakur III-Civil Judge-I.	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
14.	Ku. Savite Jadia, Civil Judge-I.	Berasia	Bhopal	Berasia	Berasia
30.	Shri Rajesh Sharma, IV-Civil Judge-II.	Guna	Guna	Guna	Guna
37.	Shri Ashutosh Agrawal, XXI Civil Judge-I.	Indore	Indore	Indore	Indore
81.	Shri Dara Singh Mandloi, Civil Judge-I.	Mahidpur	Ujjain	Mahidpur	Mahidpur.".

फा. क्र. 3(ए)03-2014-इक्कीस-ब(एक)-3122.—राज्य शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन में सचिव के दो रिक्त पदों पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-12-2011-3-एक, दिनांक 3 सितम्बर 2011 द्वारा निर्धारित तथा उल्लेखित मान्य शर्तों के अधीन क्रमशः दिनांक 30 सितम्बर 2016 तथा 8 अक्टूबर 2016 को संविदा अवधि समाप्त होने पर पुनः एक वर्ष की वृद्धि करते हुए एक वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है :—

1. श्री ज्योतेन्द्र कुमार वैद्य
2. श्री रामप्रकाश शरण

इस संबंध में होने वाले व्यय मांग संख्या-29-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं (090)-सचिवालय योजना-(9057)-विधि और विधायी कार्य विभाग की मद-11-वेतन भत्ते की उपमद-025 संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा.

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3472.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीगण को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के आगे उल्लिखित वर्तमान धारित पद की सेवा को आगे निरंतर न रखते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करता है :—

1. श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.
2. श्री नारायण सिंह लावरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी, मध्यप्रदेश.
3. श्री विमल कुमार जैन (सिंघई), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा, मध्यप्रदेश.

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब(एक)-3514.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा-4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष

उल्लेखित नवीन पदस्थापना पर एतद्द्वारा, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	नाम एवं पद (2)	नवीन पदस्थाना (3)
1	श्री ओमप्रकाश सोनारिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ (रिक्त पद).
2.	श्री अरूण कुमार सिंह (सीनियर),षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना (रिक्त पद).
3.	श्रीमती गिरिबाला सिंह, ग्यारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद).
4.	श्री रामानंद चंद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्यौंथर, जिला रीवा.	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय, इंदौर (रिक्त पद).
5.	श्री श्याम सुंदर गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.	प्रधान न्यायाधीश, कटुम्ब न्यायालय, मुरैना (रिक्त पद).

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो).— मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) की धारा 4 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सुश्री सुषमा खोसला, न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण को, उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल का उपाध्यक्ष पदाभिहित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. वैद्य, सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

फाइल क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो).—संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3299-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 21 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

Bhopal, the 21st September 2016

File No. 3299-XXI-B(Two).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-a) of Section 4 of the Madhya Pradesh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), the State Government, hereby designates Ms. Sushma Khosla, Judicial Member, Madhya Pradesh Arbitration Tribunal as vice-Chairman of the Madhya Pradesh Arbitration Tribunal from the date she assumes the charge of her office till she attains the age of 65 years.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,
J. K. VAIDYA, Secy.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, भोपाल के स्थान पर श्री अरूण कुमार पांडे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेअर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री विनय प्रकाश चतुर्वेदी, उपसचिव, वित्त विभाग के स्थान पर श्री दिनेश द्विवेदी, उपसचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

क्र. एफ 11-05-2006-उन्तीस-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81(ए) (सी) (डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्थान पर श्री के. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, भोपाल के संचालक मंडल में संचालक मनोनीत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चंदेल, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 1397.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम सूखापुरा, प. ह. नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 253.455 हेक्टेयर.	ग्राम पटी, प. ह. नं. 46

क्र. 1398.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम कचनरा, प. ह. नं. 54 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 562.668 हेक्टेयर.	ग्राम लेडियाटोला, प. ह. नं. 54

क्र. 1399.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील हर्रई, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम चिखला, प. ह. नं. 36 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 702.888 हेक्टेयर.	ग्राम चकरपाट, प. ह. नं. 36

क्र. 1400.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तंभ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल) (1)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं. (2)
ग्राम प्रतापगढ़ बादला, प. ह. नं. 20 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल 669.771 हेक्टेयर.	ग्राम फासीढाना, प. ह. नं. 20

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 31 अगस्त 2016

नस्ती क्र. 120-एल.ए.-2015-भू-अर्जन प्र. क्र. 08-अ-82-15-16.—उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक इंदौर डब्ल्यू-335-4-दिनांक 31 अक्टूबर 2015 से ग्राम खण्डवा तरफ कुन्बी के विभिन्न सर्वे नंबरों की निजी कृषि भूमि रकबा 0.280 हे. व उस पर स्थित परिसंपत्तियां, खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु अधिग्रहण के प्रस्ताव कलेक्टर जिला खण्डवा को प्रस्तुत किये गये. अधिनियम की धारा 11 प्रारंभिक अधिसूचना एवं धारा 19 उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्यवाही की गयी. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 335-4, दिनांक 17 अगस्त 2016 द्वारा भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने (1 से 9) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (9) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 93 अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 93 के अन्तर्गत कॉलम नं. (4) से (7) में उल्लेखित सर्वे नंबर एवं भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अधिनियम की धारा 19 के तहत निम्न सर्वे नंबर प्रस्तावित थे		अधिनियम की धारा 93 के तहत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने वाले सर्वे नं. का ब्यौरा		धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
			खसरा नं.	रकबा (हे.में)	खसरा नं.	रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा तरफ कुनबी	277 285 284 286 292	0.030 0.020 0.230	277 285 284 286 292	0.030 0.020 0.230	उपमुख्य इंजीनियरिंग (निर्माण पश्चिम रेल्वे इंदौर.	खण्डवा सनावद के मध्य अमान परिवर्तन कार्य हेतु.
		योग	06 खसरा	0.280	06 खसरा	0.280		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 2460-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में **आपसी सहमति से क्रय नीति** के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक (3 एवं 4) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) ग्राम का नाम — खारपा
(2) तहसील — कन्नौद

(3) जिला — देवास
(4) कुल प्रस्ताव — 1

क्र.	पूरा नाम एवं पता	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री फुगन पिता इस्माईल, जाति मेवाती	13	0.07
2	श्री शब्बा पिता इस्माईल, जाति मेवाती	14	0.07
3	श्री मोर खां पिता हीरे खां, जाति मेवाती	19	0.14
4	श्री अनवर खां पिता नजीर खां, जाति मेवाती	192/1	0.14
5	श्री रामसिंह पिता बृजलाल, जाति माली	193/1	0.04
6	श्री सुनिल पिता रामसिंह, जाति माली	201	0.13
7	श्री अजीज खां पिता गुलाब खां	215	0.13
8	श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम, शब्बीर खां, अजीज खां	181	0.06
9	श्रीमति मानोबाई पति चांद खां, जाति मेवाती	180	0.06
10	श्री इनूस खां पिता हसन खां, जाति मेवाती	179/1	0.05
11	श्री सरजीत, खातुनबाई पिता आजम शब्बीर खां, अजीज खां भुरू खां	178	0.03
12	श्री मुकेश पिता छितर अ. प. का चिरागबाई पति छितर जाति माली	172	0.02
13	श्री कांतीबाई पति केदार, जाति माली	171	0.02
14	श्री बलराम पिता गब्बु धापुबाई बेवा गबु, जाति माली	167	0.10
15	श्री समीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती	316	0.03
16	श्री हमीद खां, पिता असरफ खां, जाति मेवाती	317	0.03
17	श्री हमीद खां पिता असरफ खां, जाति मेवाती	315/1	0.0176
18	श्री समीद पिता असरफ खां, जाति मेवाती	315/2	0.0176
19	श्री हकीम पिता मेहबूब खां, जाति मेवाती	304/2	0.11
20	श्री भूरे खां, हिरे खां, मीर खां, मेहबूब खां, बन्तो बाई आसनबाई	306	0.08
21	श्री जगदीश पिता बदु, जाति माली	270	0.21
22	श्री ललीत अंकीत पिता सुमरत अपाक मा. सुनीता बाई पति सुमरत, जाति माली.	271	0.12
23	श्री सुमरतलाल पिता बदु, जाति माली	272/1	0.003
24	श्री रासतखां पिता समीद खां, जाति मेवाती	269/2	0.044
25	श्री सलाउद्दीन पिता समीद खां, जाति मेवाती	256	0.154

कुल सर्वे नम्बर-25
कुल प्रस्ताव-1

(2) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 24 अगस्त 2016

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-2434-एस.डब्ल्यू.16-बंधक श्रम-2016.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के लिये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का पुनर्गठन करता हूं :—

जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, देवास, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (2) ''अ'' के अधीन जिला दण्डाधिकारी, देवास — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (2) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री कैलाश डाबी, (अ. जा.) — सदस्य
   निवासी 51 मोती बंगला, देवास.
2. श्री बजरंग बैरवा, (अ. जा.) — सदस्य
   निवासी 32/2 बालगढ़ रोड देवास.
3. श्री डोंगर सिंह पिता भीलू सिंह (अ.ज.जा.) — सदस्य
   निवासी भील आमला, तह. हाटपिपल्या, जिला देवास
   मोबाईल नम्बर—9926548639

धारा 13 की उपधारा (2) ''स'' के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री मोतीलाल पटेल — सदस्य
   निवासी बागली, जिला देवास.
2. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक — सदस्य
   निवासी 41, राज भवन, नयापुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा (2) ''द'' के अधीन—

1. पुलिस अधीक्षक, देवास — सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास — सदस्य
3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, देवास — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (2) ''ई'' के अधीन—

1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला देवास — सदस्य

क्र. बफा-बंधक श्रम-2016-2441-एस.डब्ल्यू.16-बंधक श्रम-2016.—बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के उपखण्डों के लिये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों का पुनर्गठन करता हूं :—

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, उपखण्ड सोनकच्छ, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) ''अ'' के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सोनकच्छ — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (3) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री सुरजमल बुनकर सोनकच्छ — सदस्य
2. श्रीमती गीता बाई पति प्रेम मालवीय (अ.जा.) — सदस्य
   अयोध्या बस्ती वार्ड क्रमांक 14, सोनकच्छ.
3. श्री प्रेमसिंह मालवीय, सोनकच्छ — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''स'' के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ — सदस्य
2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी, अभिभाषक, सोनकच्छ — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''द'' के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोनकच्छ/टोंकखुर्द — सदस्य
2. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सोनकच्छ/टोंकखुर्द — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''ई'' के अधीन—

1. प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, सोनकच्छ — सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी — सचिव
तहसीलदार, तहसील सोनकच्छ/टोंकखुर्द

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, देवास, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) ''अ'' के अधीन अनुविभागीय दंण्डाधिकारी, देवास, — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (3) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा. वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री सालीगराम पिता छिता जी मालवीय — सदस्य
   निवासी सुनवानी गोपाल, देवास.
2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा — सदस्य
   निवासी 20/3 भवानी सागद, देवास.
3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा — सदस्य
   निवासी 18 वासुदेव पुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा (3) ''स'' के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री दिनेश पिता बालकिशन भूतड़ा — सदस्य
   निवासी सुभाष चौक, देवास.
2. श्री भारत सिंह पटलावदा — सदस्य
   निवासी ग्राम पटलावदा, तहसील देवास.

धारा 13 की उपधारा (3) ''द'' के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास — सदस्य
2. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं, देवास — सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, देवास — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''ई'' के अधीन—

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, देवास — सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी — सचिव
तहसीलदार, तहसील देवास.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, कन्नौद, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) ''अ'' के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कन्नौद, — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (3) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री प्रहलाद धानवे (अ.जा.), ग्राम गुडवेल, तहसील कन्नौद — सदस्य
2. श्री महेश कोंडरे (अ.जा.), कन्नौद, जिला देवास — सदस्य
3. श्री रघुवीर कर्मा (अ.जा.), ग्राम नान्दौन, तह. कन्नौद — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''स'' के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री पवन जैन, निवासी, कन्नौद, जिला देवास — सदस्य
2. श्री संजय जोशी, निवासी कन्नौद, जिला देवास — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''द'' के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कन्नौद — सदस्य
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद — सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, कन्नौद — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''ई'' के अधीन—

1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कन्नौद — सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी — सचिव
तहसीलदार, तहसील कन्नौद.

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, खातेगांव, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) ''अ'' के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खातेगांव, — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (3) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री माखन राठौर (अ.जा.), निवासी खातेगांव, जिला देवास — सदस्य
2. श्री कचरुलाल सांवले (अ.जा.), निवासी खातेगांव, जिला देवास — सदस्य
3. श्री दिनेश बघेल (अ.जा.), निवासी नेमावर, जिला देवास — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''स'' के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री मनोज बज, निवासी खातेगांव, जिला देवास — सदस्य
2. श्री दिपक शर्मा, निवासी खातेगांव, जिला देवास — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''द'' के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत खातेगांव — सदस्य
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, खातेगांव — सदस्य

3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, खातेगांव — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''ई'' के अधीन—

1. प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा खातेगांव — सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
तहसीलदार, तहसील खातेगांव. — सचिव

उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति उपखण्ड, बागली, जिला देवास

धारा 13 की उपधारा (3) ''अ'' के अधीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बागली, — **अध्यक्ष**

धारा 13 की उपधारा (3) ''ब'' के अधीन अ. जा./अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य—

1. श्री नरु पिता मोहन कोरकु (अ.ज.जा.) ग्राम हरमबडी — सदस्य
2. श्री रेमसिंह पिता हरेसिंह भिलाला (अ.ज.जा.), ग्राम पिपल्या लोहार — सदस्य
3. श्री प्रहलाद पिता अमराजी जाटवा (अ.जा.), ग्राम भमोरी — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''स'' के अधीन अनुविभाग के दो सामाजिक कार्यकर्ता—

1. श्री गंगाराम पिता सिद्धनाथ पाटीदार, ग्राम चापडा — सदस्य
2. श्री राजेन्द्र सिंह पिता देवकरण सिंह सेंधव, ग्राम गुनेरा — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''द'' के अधीन—

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागली — सदस्य
2. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, जनपद पंचायत, बागली — सदस्य
3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, बागली — सदस्य

धारा 13 की उपधारा (3) ''ई'' के अधीन—

1. प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा, बागली — सदस्य

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

तहसीलदार, तहसील बागली. — सचिव

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन,

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-16-76-2000-एक-77, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा आयोग की सेवा में निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री दिनेश पण्ड्या	वरिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक प्रोग्रामर	4500—7000
2.	श्री नरेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक ग्रेड-3	3050—4590
3.	श्री श्रीकांत भोजने	कनिष्ठ सहायक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल.	सहायक ग्रेड-3	3050—4590
4.	श्री रामू शर्मा	भृत्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, भोपाल.	भृत्य	2550—3200

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी, 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि ''व्यक्तिगत वेतन'' के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).

(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. (नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat Stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न ''सीधी भरती'' किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र.	नाम कर्मचारी	पदनाम	संविलियन दिनांक	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री दिनेश पण्ड्या	सहायक प्रोग्रामर	1-3-1999	7-8-1987 से 28-2-1999
2	श्री नरेन्द्र शर्मा	सहायक ग्रेड-3	20-4-1999	1-11-1996 से 19-4-1999
3	श्री श्रीकांत भोजने	सहायक ग्रेड-3	9-12-1999	19-10-1993 से 8-12-1999
4	श्री रामू शर्मा	भृत्य	14-10-1999	17-8-1987 से 13-10-1999

हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-102-एक-94-1747, दिनांक 17 जुलाई 1998 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जून 1998 से निगम/मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रामचरण कुशवाह	वाहन चालक, मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण संघ, भोपाल.	वाहन चालक	950—1530

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम 1 की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि ''व्यक्तिगत वेतन'' के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).

(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभागों के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न ''सीधी भरती'' किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र.	नाम कर्मचारी	पदनाम	संविलियन दिनांक	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री रामचरण कुशवाह	वाहन चालक	1-6-1998	13-8-1991 से 31-5-1998

हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-12-एक-95-2505, दिनांक 17 जुलाई 1997 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 1 जुलाई 1997 से निगम/मण्डल के निम्नांकित कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	लेखापाल, मध्यप्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, भोपाल.	वरिष्ठ सहायक	1400—2640
2	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	लेखापाल, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.	वरिष्ठ सहायक	1400—2640
3	उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	केशियर, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम, भोपाल.	लेखापाल	1320—2040

उक्त आदेश की कण्डिका 2 में उपर्युक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता वेतन निर्धारण आदि के संबंध में आदेश राज्य शासन के नियमानुसार जारी किये जाने का उल्लेख किया गया था.

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवा शर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवा शर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उप नियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि ''व्यक्तिगत वेतन'' के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).

(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न "सीधी भरती" किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र. (1)	नाम कर्मचारी (2)	पदनाम (3)	संविलियन दिनांक (4)	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि (5)
1	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	वरिष्ठ सहायक	1-7-1997	15-12-1989 से 30-6-1997
2	श्री प्रदीप कुमार शुक्ला	वरिष्ठ सहायक	1-7-1997	11-5-1988 से 30-6-1997
3	उपेन्द्र कुमार द्विवेदी	लेखापाल	1-7-1997	20-5-1988 से 30-6-1997

हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 16-48-99-एक.—मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक एफ-1-3-99-एक-1261, दिनांक 10 नवम्बर 2000 द्वारा आयोग की सेवा में दिनांक 10 नवम्बर 2000 से निगम/मण्डल के निम्न कर्मचारियों का संविलियन किया गया है :—

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पद एवं विभाग/उपक्रम का नाम जहां से कर्मचारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे	पद का नाम जिस पर संविलियन किया गया था	संविलियन किये गये पद का वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सतीश व्यास	सहायक लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम, भोपाल.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	5000—8000

(2) निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त सेवाशर्तें जारी करने हेतु आयोग के पत्र क्रमांक 16-48-99-एक-1273, दिनांक 20 जून 2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे गये प्रस्ताव (प्रारूप) पर मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-23-1998-1-4, दिनांक 22 अगस्त, 2016 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

(3) शासन के प्राप्त सहमति एवं अनुमोदित प्रारूप के तारतम्य में निगम/मण्डल/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों का मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा में संविलियन उपरान्त निम्नानुसार सेवाशर्तें जारी की जाती हैं :—

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 के नियम 6 (भर्ती का तरीका) के उपनियम (1) की कण्डिका (ग) एवं (घ) निम्नानुसार है :—

(ग) राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम की सेवा में पूर्व से कार्यरत् व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति से स्थानांतरित द्वारा;

(घ) कण्डिका (ग) में उल्लिखित सेवा में संविलियन द्वारा;

उपरोक्तानुसार आयोग के भर्ती नियमों में राज्य सरकार एवं उपक्रम की सेवाओं के कर्मचारी, जो आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् हैं, के संविलियन द्वारा भी भर्ती किये जाने का प्रावधान है. आयोग में सर्वप्रथम राज्य सरकार/उपक्रम के कर्मचारियों का संविलियन दिनांक 1 जुलाई, 1997 को हुआ था. इनकी प्रभावशीलता आयोग के गठन अर्थात् 1 फरवरी 1994 से मानी जावेगी.

(दो) **वेतन का निर्धारण.**—(अ) संविलियन होने के ठीक पूर्व धारित पद का वेतनमान संविलियन के पद के बराबर या अधिक होने पर :—

(1) ऐसे पदों पर की गई अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को संबंधित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन का निर्धारण करने के लिए गणना में लिया जावेगा.

(2) ऐसी निरन्तर सेवा को ही, जिसमें विभिन्न विभागों के अधीन पदों पर कर्तव्य की अवधियां एवं भत्तों सहित सेवा अवकाश, जिसकी गणना उस पद पर वेतनवृद्धि के लिये की जाना अनुमत हो, शामिल होगा. अस्थायी/स्थायी सेवा के पूर्ण वर्षों को ही गणना करने के लिये हिसाब में लिया जाएगा.

(3) उक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय हानि, यदि कोई हो, से बचाने की दृष्टि से ऐसे कर्मियों द्वारा संविलियन के पूर्व पद पर प्राप्त किया गया अन्तिम वेतन और नये पद पर निर्धारित किया जाने वाले वेतन के बीच के अन्तर की राशि ''व्यक्तिगत वेतन'' के रूप में प्राप्त होंगी जिसे आगामी वेतनवृद्धि में समाहित किया जावेगा.

(तीन) **वरिष्ठता का निर्धारण.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 12(3) के प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा :—

(1) नये कार्यालय में संविलियन कर्मचारी, उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे कर्मचारी उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में जाने जायेंगे. नियम 12(3)(ग).

(2) उपरोक्त कार्यालयों के, विशिष्ट संवर्ग में दो या दो से अधिक कर्मचारियों को किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में किसी संवर्ग में अलग-अलग तारीखों में संविलियन किया गया है तो नए कार्यालय/विभाग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता वही रहेगी, जो उनके पूर्व कार्यालय में थी, परन्तु इन तारीखों में उस संवर्ग में किसी व्यक्ति को सीधी भरती के लिये न चुना गया हो. नियम 12(3)(घ).

(चार) **सेवा भंग.**—पुराने पद से सेवामुक्त होने की तारीख और नए पद पर नियुक्ति की तारीख के बीच की सेवा के व्यवधान को, यदि कोई हो, संबंधित कर्मचारी को, उसकी सेवामुक्ति के समय स्वीकार्य अवकाश देकर पूरा किया जाना चाहिये. यदि पात्रतानुसार अवकाश अपर्याप्त हो, तो उन्हें शेष अवधि, जो अधिक से अधिक छः महीने तक की होगी, असाधारण अवकाश स्वीकार किया जा सकेगा. ऐसे मामले, जिनमें व्यवधान को इस प्रकार भी नियमित न किया जा सकता हो, विशेष आदेशों के लिए वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त कर सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) **सीधी भरती माना जाएगा.**—अन्य विभाग के संविलीन कर्मचारियों को, संबंधित वेतनमान में प्रारंभिक पुनरावस्था (Inital Repeat Stage) यदि कोई हो, के संदर्भ में वेतन का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, पदोन्नति कर्मचारियों से भिन्न ''सीधी भरती'' किए गए कर्मचारी माना जायेगा.

(छः) **अवकाश.**—(1) तत्स्थानी पदों/सेवा के धारकों पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार अवकाश की पात्रता होगी.

(2) उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पुरानी सेवाओं का लाभ, पेंशन तथा अवकाश के लिए भी प्राप्त होगा. साथ ही, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 466/18/4/आर-1/64, दिनांक 17 मार्च, 1964 के अनुसार ज्वाइनिंग टाईम, स्थानांतर यात्रा भत्ता इत्यादि का लाभ मिलेगा.

उक्तानुसार निगम/मंडल सार्वजनिक उपक्रम की सेवा से आयोग की सेवा में संविलियन किए गए निम्नलिखित कर्मचारियों के कॉलम (5) में दर्शायी गई संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि को वेतन निर्धारण, पेंशन तथा अवकाश प्रयोजनों हेतु मान्य की जाती है :—

स.क्र.	नाम कर्मचारी	पदनाम	संविलियन दिनांक	संविलियन के पूर्व की सेवा अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री सतीश व्यास	कनिष्ठ लेखाधिकारी	10-11-2000	29-12-1986 से 9-11-2000

हस्ता./-
(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 20 सितम्बर 2016

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(2), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले की जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

जिला स्तरीय सतर्कता समिति

धारा 13 की उपधारा (2) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—कलेक्टर, होशंगाबाद

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (2) (बी) के अधीन—तीन

1. श्रीमती प्रमिला अतुलकर,
   वार्ड क्र. 26, नाला मोहल्ला, इटारसी
   मो. नं.—9303473608.

2. श्री रूपचंद अहिरवार,
   वार्ड क्र. 08, बंगलिया, इटारसी,
   मो. नं.—9926367905.

3. श्री पूनम मेषकर,
   वार्ड क्र. 28, हरिजन छात्रावास के बाजू में, होशंगाबाद,
   मो. नं.—9827341360.

धारा 13 की उपधारा (2) (सी) के अधीन—दो

1. श्री संदीप तिवारी,
   वार्ड क्र. 17, एक्सीलेंस स्कूल, सोनासांवरी नाका, इटारसी
   मो. नं.— 9827279238.

2. श्री राकेश गौर,
   वार्ड क्र. 15, ईश्वर रेस्टोरेंट, इटारसी
   मो. नं.—9826445359.

धारा 13 की उपधारा (2) (डी) के अधीन—तीन

1. पुलिस अधीक्षक, होशंगाबाद
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद
3. सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग, होशंगाबाद

धारा 13 की उपधारा (2) (ई) के अधीन—एक

1. लीड बैंक मैनेजर, होशंगाबाद

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सोहागपुर के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री कमल किरार/श्री नन्हू सिंह किरार
   119, मातापुरा वार्ड, सोहागपुर,
   मो. नं.—7566866707.
2. सुश्री वर्षा दोहरे/ श्री रमेश दोहरे
   मुसलमानी मोहल्ला, सेमरी हरंचद
   मो. नं.—8602119784.
3. श्री रवि प्रकाश/श्री लालचंद कोरी
   रामगंज वार्ड, सोहागपुर,
   मो. नं.—9425438060.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री अरविंद ठाकुर/श्री भगवत ठाकुर
   ग्राम-करनपुर, तहसील-सोहागपुर,
   मो. नं.—7389635352.
2. श्री ललित कुमार/मानकलाल गढ़वाल,
   गांधी वार्ड, सोहागपुर,
   मो. नं.—9584482608.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. थाना प्रभारी, थाना सोहागपुर
2. पंचायत एवं समाज सेवा संगठक, सोहागपुर
3. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सोहागपुर

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, सोहागपुर

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग सिवनीमालवा के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—

अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, सिवनीमालवा

सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री संजय केथवास/श्री हरिशंकर केथवास,
   मकान 04, फाईल मोहल्ला, वार्ड क्र. 01,
   रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
   मो. नं.—9926669844.
2. श्री राकेश भिलाला/श्री धनराज भिलाला,
   मकान 43, फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01,
   रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
   मो. नं.—7697117769.
3. श्रीमती नीलकमल/स्व. श्री राधेमोहन उपाध्याय
   ग्राम नंदरवाड़ा, तह.-सिवनीमालवा,
   मो. नं.—8120123476

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्रीमती वंदना/श्री भगवती प्रसाद पालीवाल
   रामगली वार्ड नं. 01,
   रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
   मो. नं.—9009250360.
2. श्री नितिन कुमार/स्व. श्री गुलाबचंद्र चौकसे,
   मकान 36, फाईल मोहल्ला, वार्ड नं. 01,
   रेल्वे स्टेशन के पास, बानापुरा,
   मो. नं.—8602912914.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. परियोजना अधिकारी, आई. सी. डी. एस. सिवनीमालवा
2. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा
3. राजस्व निरीक्षक, सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिवनीमालवा

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिवनीमालवा.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग पिपरिया के लिए अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—
अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया
सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री अनिल साहू/स्व. श्री बलराम साहू,
   ग्राम-हथवॉस, तहसील पिपरिया,
   मो. नं.—8827074332
2. श्री समरसिंह/श्री कृष्णपाल सिंह
   पचमढ़ी रोड, पिपरिया,
   मो. नं.—9589253999
3. श्रीमती उषा उईके/स्व. श्री प्रेमलाल जी उईके
   पुराना बाजार तिवारी वार्ड, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री सुरेश चन्द्र/श्री कालीचरण दुबे,
   बनखेड़ी तहसील, बनखेड़ी,
   मो. नं.—9424483237.
2. श्री राजाराम पटैल/श्री गुलाबसिंह पटैल
   ग्राम नयागांव, तहसील बनखेड़ी,
   मो. नं.—9926509696

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—पांच

1. परियोजना अधिकारी, पिपरिया, महिला बाल विकास, पिपरिया
2. परियोजना अधिकारी, बनखेड़ी, महिला बाल विकास, पिपरिया
3. राजस्व निरीक्षक, मटकुली
4. राजस्व निरीक्षक, तरौनकला
5. राजस्व निरीक्षक, बनखेड़ी.

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, पिपरिया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पिपरिया.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग इटारसी के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—
अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, इटारसी
सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री प्रहलाद निकम/श्री रामदास निकम,
   604, सांई नगर, न्यू यार्ड, इटारसी,
   मो. नं.—9329659660
2. श्री अभय अल्फ्यूज/श्री ई. जी. अल्फ्यूज
   काली दरबार, गांधी नगर, इटारसी,
   मो. नं.—9424436206.
3. श्रीमती जयश्री परते/श्री वीरेन्द्र परते,
   जय प्रकाश नगर, पुरानी इटारसी,
   मो. नं.—8889516644.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री संजय परते/सत्यनारायण परते
   ग्राम-रामपुर, तह.-इटारसी,
2. प्रबंधक, जीवोदय संस्था,
   जीवोदय संस्था, नेहरूगंज, इटारसी
   मो. नं.—9977575486.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, केसला, विकास खण्ड, केसला
2. अधीक्षक, बोरी अभ्यारण्य, इटारसी
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, केसला

धारा 13 की उपधारा (2) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, कोऑपरेटिव बैंक, इटारसी.

धारा 13 की उपधारा (2) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, इटारसी.

क्र. बंधक श्रमिक-2016.—मैं, संकेत भोडंवे, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, होशंगाबाद एतद्द्वारा बंधक श्रम प्रथा (उम्मूलन) अधिनियम, 1976 के अध्याय 5 की धारा 13(3), में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, होशंगाबाद जिले के अनुभाग होशंगाबाद के लिए, अनुभाग स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति में निम्नानुसार व्यक्तियों को अध्यक्ष एवं सदस्य मनोनीत करता हूं. समिति का कार्यकाल दो वर्ष की कालावधि के लिए होगा.

धारा 13 की उपधारा (3) (ए) के अधीन—
अध्यक्ष :—अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद
सदस्य :—धारा 13 की उपधारा (3) (बी) के अधीन—तीन

1. श्री ताराचंद्र कदम/स्व. श्री तुलसीराम कदम
   बालागंज, होशंगाबाद,
   मो. नं.—9993062957.
2. श्रीमती पूजा भारदेव/श्री नर्मदा प्रसाद भारदेव
   बालागंज, होशंगाबाद,
   मो. नं.—9907598941.
3. श्री डालचंद्र सोना/स्व. श्री अमर सिंह सोना
   बालागंज, होशंगाबाद,
   मो. नं.—7805012135.

धारा 13 की उपधारा (3) (सी) के अधीन—दो

1. श्री मनीष परदेशी/श्री चंदूलाल परदेशी
   वार्ड नं. 13, एस. पी. ऑफिस के सामने,
   कोठी बाजार, होशंगाबाद,
   मो. नं.-9301888193.
2. श्री अनोखीलाल राजौरिया
   शिव मंदिर के पास, आई. टी. आई, होशंगाबाद,
   मो. नं.—9826294185.

धारा 13 की उपधारा (3) (डी) के अधीन—तीन

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, होशंगाबाद
2. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी, डोलरिया,
3. उपयंत्री, सिंचाई विभाग, बाबई.

धारा 13 की उपधारा (3) (ई) के अधीन—एक

1. शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निमसाड़िया

धारा 13 की उपधारा (3) (एफ) के अधीन—एक

1. तहसीलदार, होशंगाबाद.

संकेत भोडंवे, कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी.

आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधन

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2016

क्र. 2016-विपप्र-2013.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा दिनांक 7 अगस्त, 2013 को प्रश्न-पत्र-वन विधि प्रथम (बिना पुस्तकों के) तथा प्रश्न-पत्र-सामान्य विधि द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय की संपन्न की गई थी, जिसमें निम्नलिखित परीक्षार्थी का "वन क्षेत्रपाल" पदनाम उपायुक्त राजस्व कार्यालय नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जो लिपिकीय त्रुटिवश था. इसकी पुष्टि उपरान्त निम्नलिखित परीक्षार्थी का "वन क्षेत्रपाल" पदनाम के स्थान पर "सहायक वन संरक्षक" पदनाम किया जाकर, परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्री भारत सोलंकी	सहायक वन संरक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं नोडल अधिकारी विभागीय परीक्षा.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2016

क्र. एफ 7-6-2016-छै:.—भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के शासन द्वारा जारी किये गये ऐलान, होम डिपार्टमेन्ट मतबुआ, ग्वालियर राज्य गजट, दिनांक 10 जनवरी 1920 के कॉलम नम्बर 5 के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-6-1993-छ:, दिनांक 30 अक्टूबर 1995 को अधिक्रमित करते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को भूतपूर्व ग्वालियर राज्य के पब्लिक परस्तिशगाहों के वक्फ के इन्तजाम के लिए मुकर्रर औकाफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में, इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिये नियुक्त करता है, अर्थात्:—

1.	आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन	सदस्य
3.	आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना	सदस्य
4.	श्री तारासिंह, पिता बापूसिंह, निवासी ग्राम डबरा राजपूत, तहसील तराना, जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश).	सदस्य
5.	श्री विवेक जोशीजी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	सदस्य
6.	श्री धर्मस्वरूप भार्गवजी, गुना, मध्यप्रदेश	सदस्य
7.	औकाफ एवं माफी आफीसर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)	सदस्य/सचिव

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-03-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत् राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015, बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दक्षिण बालाघाट	वारासिवनी सामान्य	बाटनीकल गार्डन, गर्रा बालाघाट	आरक्षित वन-513	45.00	**पूर्व**—वैनगंगा नदी **पश्चिम**—ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र **उत्तर**— RF 513 **दक्षिण**—ग्राम गर्रा राजस्व क्षेत्र.
2		बालाघाट सामान्य	गांगुलपारा जलाशय	आरक्षित वन-132,133,131, 136'अ', 136'ब'	925.736	**पूर्व**—RF 130,137 एवं PF 679 A, 679 B **पश्चिम**—RF 134 **उत्तर**— RF 109,110, 111 **दक्षिण**—RF 135, 153, PF 666, 680, 681 एवं ग्राम पिपरटोला, केरा राजस्व क्षेत्र.
			बजरंग घाट एवं शंकर घाट, बालाघाट.	आरक्षित वन-818	182.567	**पूर्व**—बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र **पश्चिम**—वैनगंगा नदी **उत्तर**— ग्राम बुढ़ी, बालाघाट शहर राजस्व क्षेत्र **दक्षिण**—बालाघाट-सिवनी पी.डब्ल्यू.डी. सड़क एवं कक्ष क्रमांक 819.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-03-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-03-2016-दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th September 2016

No. F-15-03-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government

declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	South Balaghat	Varaseoni (T)	Botanical Garden Garrah	RF 513	45.00	**East**—Wainganga river **West**—Revenue area of village Garrah. **North**—RF 513 **South**—Revenue area of village Garrah.
2	South Balaghat	Balaghat (T)	Gangulpara Tank	RF 132, 133, 131, 136A, 136 B	925.736	**East**—RF 130, 137, PF 679A, 679B. **West**—RF 134 **North**—RF 109, 110, 111 **South**—RF 135, 153, PF 666, 680, 681 and revenue area of village Pipertola & Kera.
3	South Balaghat	Balaghat (T)	Bajrang Ghat and Shankar Ghat	RF 818	182.567	**East**—Revenue area of Balaghat city. **West**—Wainganga River **North**—Village Boodi and revenue area of Balaghat city. **South**—Balaghat to Seoni PWD road and compartment No. 819.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-112-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 15'46.14'' से 22° 16'47.400'' उत्तर अक्षांश तथा 75°33'29.68'' से 75°34'16.33'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—महेश्वर, वनमंडल—सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र—काकड़दा

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आशापुर	आशापुर	चरनोई	557/1	15.989	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
				557/2	15.943	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 16 की कृत्रिम वन सीमा.
				557/4	1.324	**दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 16 से 18 की कृत्रिम वन सीमा.
				557/5	11.284	**पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
			योग :		44.540	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 44.540 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक 1481/वाचक-1/2003 दिनांक 07-06-2003 एवं क्रमांक 23 अ-74/2007-2008 दिनांक 12-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, महेश्वर के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक
(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-112-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-112-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-112-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22^0 15'46.14'' to 22^0 16'47.400'' North Latitude and $75^0$33'29.68'' to $75^0$34'16.33'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Maheshwar, Forest Division—Barwaha, Forest Range—Kakarda

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ashapur	Ashapur	Grazing land	557/1 557/2 557/4 557/5	15.989 15.943 1.324 11.284	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 16 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 of Protected Forest Block. **West**— Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	44.540	

(A) **Reason for publication of Notification % &**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-FC dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas, the above

mentioned Non Forest Land of 44.540 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1481/वाचक-1/2003 Dated 07-06-2003 & 23अ-74/2007-2008 Dated 12-06-2008 Collector Khargone for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated NIL of Tehsildar Maheshware are as under.

1. **Individual Rights**—Nil.

2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-113-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 08'15'' से 22° 08'28'' उत्तर अक्षांश तथा 75°28'38'' से 75°28'58'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—कसरावद, वनमण्डल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—कसरावद

अ.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
क्र.	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पानवा	पानवा	ना.का.च.	114	12.747	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	12.747	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-FC दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.747 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक 732/वाचक-1/2002 दिनांक 26-4-2002 एवं आदेश क्रमांक/382/वाचक-2/2008 दिनांक 25-06-2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक
(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-113-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-113-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-113-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°08'15'' to 22°08'28'' North Latitude and 75°28'38'' to 75°28'58'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Kasrawad, Forest Division—Khargone, Forest Range—Kasrawad

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panwa	Panwa	ना.का.च.	114	12.747	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 04 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 05 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 05 to 08 of Protected Forest Block. **West**— Artificial Forest Boundary fromPillar No. 08 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	12.747	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8-372/83-F.C. dated 08 September 1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Valley Development authority, the above mentioned Non Forest Land of 12.747 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 732/वाचक-1/2002 Dated 26-04-2002 and order No./ 382/ वाचक-2/2008 Dated 25-06-2008 of District Additional Revenue Court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of NIL Designation of Competent Revenue office Tehsildar Kasrawad are as under.

1. **Individual Right**—Nil.
2. **Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-114-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 46'16.45'' से 21° '46'44.030'' उत्तर अक्षांश तथा 75°21'03.160'' से 75°21'34.74'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगोन, तहसील—सेगांव , वनमंडल—खरगौन , वनपरिक्षेत्र—खरगौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उपड़ी	उपड़ी	ना.का.च.	75	10.178	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 8 की कृत्रिम वन सीमा.
				84	26.00	
				88	10.987	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 26 की कृत्रिम वन सीमा.
						दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से 4 की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 04 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
			योग :		47.165	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-एफ.सी दिनांक 8- 9-1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 47.165 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण क उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/9/ वाचक/ 2000 दिनांक 03-01-2001 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक
(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-114-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-114-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-114-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21° 46'16.45'' to 21° 46'44.030'' North Latitude and 75°21'03.160'' to 75°21'34.74'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Segao, Forest Division—Khargone, Forest Range—Khargone

S. No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Upadi	Upadi	ना.का.च.	75	10.178	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 08 of Protected Forest Block.
				84	26.00	
				88	10.987	**East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 26 of Protected Forest Block.
						South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 26 to 04 of Protected Forest Block.
						West— Artificial Forest Boundary from Pillar No. 04 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	47.165	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-F.C. dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authority, the above mentioned Non forest land of 47.165 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No. 9/Reader-1/2000 dated 3rd January 2001 of Disrict Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. **Details of other Reasons—Compensatory A forestation.**

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer) Tehsildar Segao are as under.

1. **Individual Rights**—Nil.

2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-115-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 22° 06'43'' से 22° 07'01'' उत्तर अक्षांश तथा 75°28'12'' से 75°28'48'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—कसरावद, वनमंडल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—कसरावद

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	महाराजखेड़ी	महाराजखेड़ी	ना.का.च.	23	21.00	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				26/3	8.396	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						दक्षिण— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 08 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	29.396	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. D-372/83-एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 29.396 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/225/वाचक-1/92, दिनांक 7 मार्च, 1992 एवं आदेश क्रमांक/380/वाचक-2/2008,दिनांक 25 जून, 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने का कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, कसरावद के प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक

(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-115-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-115-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-115-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22°06'43'' to 22°07'01'' North Latitude and 75°28'12'' to 75°28'48'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Kasrawad, Forest Division—Khargone, Forest Range—Kasrawad,

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahrajkhedi	Mahrajkhedi	ना.का.च.	23 26/3	21.00 8.396	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 07 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to 08 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 08 to 12 of Protected Forest Block. **West**— Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	29.396	

(1) **Reason for publication of Notification.—**

A. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada vally Development Authoriy the above mentioned Non forest land of 29.396 hechatre transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No.225/वाचक0-1/ 92 dated 7th March 1992 of District Additional Revenue court Khargon the purpose of compensatory a forestation.

2. **Detail of other Reasons—Compensatory A forestation.**

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated of Nill Designation of Competent Revenue officer Tehsildar Kasrawad are as under.

1. **Individual Right**—Nil.
2. **Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-116-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. ये वनखण्ड निम्नलिखित सूची के कालम (8) में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के बीच स्थित है:—

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—बड़वाह, वनमंडल—सामान्य वनमण्डल बड़वाह, वनपरिक्षेत्र—सनावद

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं	अक्षांश एवं देशांश की सूची
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अम्बा 'अ'	अम्बा	चरनोई	331/2	1.392	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 6 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22⁰ 1'38.122'' to N 22⁰1'30.166'', E 75⁰ 55'4.066'' to E 75⁰ 55'21.848''.
				योग :	1.392		
2	अम्बा 'ब'	अम्बा	चरनोई	331/3	2.501	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 एवं 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22⁰ 1'35.409'' to N 22⁰1'46.694'', E 75⁰553'7.777'' to E 75⁰55'42.745''.
				योग :	2.501		
3	अम्बा 'स'	अम्बा	चरनोई	331/5	2.327	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के मध्य स्थित. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22⁰ 1'35.587'' to N 22⁰1'38.053'', E 75⁰55'39.091'' to E 75⁰55' 44.082''.
				योग :	2.327		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	अम्बा 'द'	अम्बा	चरनोई	331/4	0.060	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 के मध्य स्थित. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22^0 1'36.826'' to N 22^{0}1'45.608'', E 75^{0}55'43.777'' to E 75^{0}56'5.992''.
				योग :	0.060		
5	अम्बा 'इ'	अम्बा	चरनोई	331/7	0.259	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 4 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 4 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N 22^0 1'9.187'' to N 22^{0}1'11.0.20'', E 75'55'1.5.575'' to E 75'55'23.963''.
				योग :	0.259		
6	अम्बा 'फ'	अम्बा	चरनोई	331/9	2.258	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 5 की कृत्रिम वन सीमा. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N-22^{0}0'58.612'' to N-22^{0}1'9.147'' E-75'55'36.732'' to E-75'55' 52.613''.
				योग :	2.258		
7	अम्बा 'ज'	अम्बा	चरनोई	331/10	0.227	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 की कृत्रिम वन सीमा. **पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 3 की कृत्रिम वन सीमा. **दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 के मध्य स्थित. **पश्चिम**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 3 से 1 की कृत्रिम वन सीमा.	N-22^0 1'6.191'' to N-22^{0}1'10.148'', E-75'55'50.433'' to E-75^{0}55' 52. 799''.
				योग ..	0.227		
				कुल योग . .	9.024		

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D-372/83-एफ.सी दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 9.042 हेक्टेयर को क्षतिपुर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर के आदेश क्रमांक/240/वाचक-2/08, दिनांक 12 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी.—तहसीलदार, बड़वाहके प्रतिवेदन क्रमांक निरंक दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक
(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अत: उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-116-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-116-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-116-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Blocks Latitude and Longitude List as Column (8) below :—

SCHEDULE

District—Khargone, Tehsil—Barwah, Forest Division—Barwah, Forest Range—Sanawad,

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries	Latitude and longitude
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of land	Khasra No.	Area (in Hectare)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Amba 'A'	Amba	Grazing land	331/2	1.392	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 06 abd 1 Artificial Forest Boundary.	N-22°1'38.122'' to N-22°1'30.166'', E-75°55'4.066'' to E-75°55'21.848''.
				Total	1.392		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Amba 'B'	Amba	Grazing land	331/3	2.501	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 and 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°1'35.409'' to N-22°1'46.694'', E-75°553'7.777'' to E-75°55' 42.745''.
				Total	2.501		
3	Amba 'C'	Amba	Grazing land	331/5	2.237	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block Situated Centre No. 04. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°1'35.587'' to N-22°1'38.053'', E-75°55'39.091'' to E-75°55' 44.082''.
				Total	2.237		
4	Amba 'D'	Amba	Grazing land	331/4	0.060	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 04 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block Situated Centre No. 04. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 05 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°1'36.826'' to N-22°1'45.608'', E-75°55'43.777'' to E-75°56'5.992''.
				Total	0.060		
5	Amba 'E'	Amba	Grazing land	331/7	0.259	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 04 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 04 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22° 1'9.187'' to N-22°1'11.0.20'', E-75°55'1.5575'' to E-75°'55'23.963''.
				Total	0.259		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Amba 'F'	Amba	Grazing land	331/9	2.258	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. **South**—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 05 Artificial Forest Boundary. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 05 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22°0'58.612'' to N-22°1'9.147'' E-75° 55'36.732'' to E-75°55' 52.613''.
				Total	2.258		
7	Amba 'G'	Amba	Grazing land	331/10	0.227	**North**—Protect Forest Block from Pillar No. 01 to 02 Artificial Forest Boundary. **East**—Protect Forest Block from Pillar No. 02 to 03 Artificial Forest Boundary. **South**—Protect Forest Block Situated Centre No. 03. **West**—Protect Forest Block from Pillar No. 03 to 01 Artificial Forest Boundary.	N-22° 1'6.191'' to N-22°1'10.148'', E-75°55'50.433'' to E-75°55' 52. 799''.
				Total . .	0.227		
				Grand Total . .	9.024		

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./D-372/83-FC dated 08-09-1987 and in lieu of 2732.380 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sardar Sarovar Project of Narmada Ghati Vikas Pradhikaran the above mentioned Non Forest Land of 9.024 hechatre transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order क्रमांक. 240/वाचक-2/08/ dated 12th June 2008 of Collector Khargone for the purpose of compensatory aforestation.

2. Details of other Reasons—Compensatory A forestation.

(B) The Khasrawise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated Nil of Tehsildar Barwah are as under.

1. **Individual Rights**—Nil.

2. **Community Rights**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-117-2016-दस-3.— रूल भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N-21° 53'53.498'' से N-21° 54'7.542'' उत्तर अक्षांश तथा E-74°47'54.398 से E-74°48'30.920 पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—बडवानी , तहसील—पाटी , वनमंडल—(सामान्य) वन मण्डल बड़वानी , वनपरिक्षेत्र—पाटी

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ठेंगचा	ठेंगचा (प.ह.न.—20)	शासकीय पहाड़ी	235	8.106	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 44 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				237	5.706	
				378/1	15.080	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 44 से 48 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				379	3.885	**दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 48 से 88 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र 88 से 29 की कृत्रिम वन सीमा.
			योग :		32.777	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश No.07/80-IA, Dated 24th June 1987 & No.J-11016/5/84-IA-I, Dated 13th October, 1993 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल की स्वीकृत इंदिरा सागर परियोजना में प्रभावित 32.777 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 32.777 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित 32.777 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक/1682/रीडर/2004 बड़वानी (प्र.क्र07/अ-74/03-04)दिनांक 29.09.2004 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार पाटी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) **सामुदायिक अधिकार**—सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-117-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-117-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-117-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N-21°54'7.542'' to N-21°53'53.498'' North Latitude and E-74°47'54.398 to E-74°48'30.920 East Longitude :—

SCHEDULE

District—Barwani , Tehsil—Pati , Forest Division—Barwani, (T) Forest Range—Pati

S. No.	Details of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (in Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Thengcha	Thengcha (P.H. No. 20)'	Government Hill	235 237 378/1 379	8.106 5.706 15.080 3.885	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 29 to 44 of Protected Forest Block. **East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 44 to 48 of Protected Forest Block. **South**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 48 to 88 of Protected Forest Block. **West**— Artificial Forest Boundary from Pillar No. 88 to 29 of Protected Forest Block.
				Total	32.777	

(A) **Reason for publication of Notification.—**

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No.3-07/80-IA, Dated 24th June 1987 & No.J-11016/5/84-IA-I, Dated 13th October, 1993 and in lieu of 32.777 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Narmada Villey Development Authority Narmada Bhawan, Bhopal of Indira Sagar Project the above mentioned Non forest land of 32.777 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt., Forest Department by order No. 1682/Ridar/2004 Barwani (RC No. 07/A-74/03-04) dated 29th September 2004 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory aforestation.

2. Details of other Reasons—Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Pati are as under.

1. **Individual Righsts**—No Individual Rights Exist,
2. **Community Rights**—No Community Rights Exist,

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-118-2016-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 21° 47'3.930'' से 21°47'54.10'' उत्तर अक्षांश तथा 75°21'37.37'' से 75°22'26.63'' पूर्व देशांश के बीच स्थित है :—

अनुसूची

जिला—खरगौन, तहसील—सेगांव, वनमंडल—खरगौन, वनपरिक्षेत्र—खरगौन

अ. क्र.	वनखण्ड की भूमि का विवरण					वनखण्ड की सीमाएं
	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का वर्तमान मद	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पनाली	पनाली	नि.चा.	111/1	9.00	**उत्तर**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				141/1	30.00	
				111/2	4.047	**पूर्व**—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा.
				111/3	6.945	
				141/407	1.214	**दक्षिण**— संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 52 से 60 तक की कृत्रिम वन सीमा.
						पश्चिम—संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 60 से 01 की कृत्रिम वन सीमा.
				योग :	51.206	

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार—

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक D/372/83/एफ.सी., दिनांक 8 सितम्बर 1987 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्वीकृत परियोजना सरदार सरोवर परियोजना में प्रभावित 2732.780 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के एवज में प्राप्त कुल 1194.798 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 51.206 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला खरगोन के आदेश क्रमांक/8/वाचक-1/2000, दिनांक 3 जनवरी 2001 एवं आदेश क्रमांक 398/वाचक-2/2008, दिनांक 30 जून 2008 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. **अन्य कारणों का विवरण**—क्षतिपूर्ति वनीकरण.

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, . . (पदनाम) तहसीलदार सेगांव के प्रतिवेदन क्रमांक . . . निरंक . . . दिनांक..... निरंक..... द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

(1) **व्यक्तिगत अधिकार** —निरंक

(2) **सामुदायिक अधिकार**—निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. एफ-25-118-2016-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-118-2016-दस-3, दिनांक 15 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 15th September 2016

No. F-25-118-2016-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provision of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individual or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 21°47'3.930'' to -21°47'54.10'' North Latitude and 75°21'37.37'' to 75°22'26.63'' East Longitude :—

SCHEDULE

District—khargone , Tehsil—Segao , Forest Division—khargone, Forest Range—khargone

S. No.	Detail of Land Included					Forest Block Boundaries
	Name of Forest Block	Name of Village	Present head of Land	Khasra No.	Area (Hectare)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Panali	Panali	नि.चा.	111/1	9.00	**North**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to 13 of Protected Forest Block.
				141/1	30.00	
				111/2	4.047	
				111/3	6.945	**East**—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to 52 of Protected Forest Block.
				141/ 407	1.214	
						South—Artificial Forest Boundary from Pillar No. 52 to 60 of Protected Forest Block.
						West— Artificial Forest Boundary fromPillar No. 60 to 01 of Protected Forest Block.
				Total	51.206	

(A) **Reason for publication of Notification.**—

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No./8/-372/83-F.C, Dated 08.09.1987 and in lieu of 2732.780 hectare of affected for of Narmada Valley Development Authority the above mentioned Non forest land of 51.206 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt., Forest Department by order No./ D /वाचक—1 / 2000 dated 30.01.2001 and order No. / 398 /वाचक—2 / 2008 dated 30.06.2008 of District Additional Revenue court Khargone the purpose of compensatory a forestation.

2. **Detail of other Reasons**—Compensatory A forestation.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no. Nil dated of Nil Designation of Competent Revenue officer) Tehsildar Segao aren as under.

1. **Individual Right**—Nil.

2. **Community Right**—Nil.

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1929.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-14-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से **मनोरंजन क्षेत्र** घोषित करती है:—

अनुसूची

क्रमांक	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मंदसौर	भानपुरा	बड़ा महादेव	आरक्षित वन-32	4.00	**पूर्व**—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 **पश्चिम**—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 **उत्तर**—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 **दक्षिण**—वन क्षेत्र कक्ष क्र. 32 एवं आम रास्ता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016

क्र. एफ-15-14-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-14-2016-दस-2, दिनांक 23 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd September 2016

No. F-15-14-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3 (1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hectares)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mandsor	Bhanpura	Bada Mahadev	RF-32	4.00	**East**—Compartment No. 32 **West**—Compartment No. 32 **North**—Compartment No. 32 **South**—Compartment No. 32 and Common road.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	221	0.080	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			योग . .	0.080		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	102 मिन 1/क	0.270	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 4 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			योग . .	0.270		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुहिया	845/1 मिन	0.090	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर रशीदपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की 3 आर मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			845/2 मिन	0.090		
			योग . .	0.180		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सिहारा	61/1	0.105	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 1 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			योग . .	0.105		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	उदयपुर	275 मिन 2	0.130	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर एवं एम 4 उपशाखा के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			274/1	0.070		
			788	0.020		
			785	0.080		
			786/ मिन1	0.140		
			योग . .	0.440		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-15-16-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	सेनी	290	0.125	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, डबरा, जिला ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की उदयपुरा शाखा नहर की एम 1 मायनर एवं एम 3 मायनर के निर्माण हेतु शेष निजी भूमि का अर्जन.
			1295/2 1296/4	0.105		
			58/2	0.020		
			59	0.209		
			योग . .	0.459		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 02-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भिण्ड	रोन	इन्दुरखी	8/3014	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	गोरई-अड़ोखर मार्ग के कि.मी. 11/8-10 सिंध नदी पर स्थित उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			17	0.05		
			18	0.01		
			35/1 क	0.10		
			35/1 ख	0.06		
			35/2	0.01		
			35/3	0.02		
			42/1	0.04		
			42/2	0.18		
			63/5	0.08		
			63/6	0.16		
			63/7	0.02		
			63/8	0.06		
			64/2	0.02		
			57	0.13		
			58	0.17		
			59	0.19		
			60	0.01		
			योग . .	1.35		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 03-अ-82-16-17-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन

की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

संपत्ति का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भिण्ड	रोन	बहादुरपुरा	1082	0.04	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.	बहादुरपुरा-अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
			1085	0.04		
			1163	0.07		
			1165	0.15		
			1167/1918			
			1167	0.06		
			1168	0.11		
			1166	0.01		
			योग . .	0.48		

(2) भूमि का नक्शा(प्लान)भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लहार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 7491-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	मुरकुडा प.ह.नं.-17. रा.नि.म. किरनापुर.	रकबा 1.034 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.	बम्हनगांव से पानगांव शासकीय सोन नदी पुल सड़क निर्माण परिवर्तन निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic.in एवं म. प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7492-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा ब्राड गेज अमान परिवर्तन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	गोगलई प.ह.नं.-19 रा.नि.म. बालाघाट.	रकबा 1.666 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट.	बायपास मार्ग गोगलई से नवेगांव सड़क निर्माण चौड़ीकरण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@ nic.in एवं म. प्र.शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट htt://www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील बालाघाट, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 7929-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.-31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता, अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पाण्ढुर्णा	ग्राम-सेन्दुरजना ब. न.-405, प.ह.नं.-21, रा.नि.म.- नांदनवाडी, तहसील-पाण्ढुर्णा.	रकबा 14.580 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्ढुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.	सेन्दुरजना जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील-पाण्ढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पाण्ढुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7930-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) चूंकि, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्र.एफ 22-03-2016-17/ल. सि.-31-997 भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2016 के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति भू-अर्जन हेतु प्रदान की गई है तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उपधारा 1 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(4)-2014-सात-शा.-2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03 अक्टूबर 2014 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उपरोक्त प्रावधान परियोजना तथा मध्यम परियोजना के लिये बनाये गये हैं, उपरोक्त योजना लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(3) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	पाण्डुर्णा	ग्राम-पेंडोनी, ब. न.-243, प.ह.नं.-43, रा.नि.म.-पाण्डुर्णा-2, तहसील-पाण्डुर्णा.	रकबा 26.675 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां.	भू-अर्जन अधिकारी तहसील-पाण्डुर्णा जिला छिन्दवाड़ा.	पेंडोनी जलाशय के बांध निर्माण हेतु लघु परियोजना सिंचाई के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara. nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील-पाण्डुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पाण्डुर्णा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. 3121-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	अमोहराडोल	33.195	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	बांध निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3124-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	अमोहराडोल	0.670	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3126-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	मझौली	मड़वास	1.663	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र-1 सीधी.	मुख्य एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी मझौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 अगस्त 2016

पत्र क्र. 2025-प्रशा.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. चूंकि बहुती नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामनगर	खोमरहा	5.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग देवलोंद, जिला शहडोल.	बहुती नहर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्र. 1965-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—साहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.556 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
438	0.042
437	0.044
436	0.044
427	0.112
428	0.053
429	0.053
430	0.009
376	0.200
योग . .	0.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1967-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—निरंजनपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग—1.749 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
41	0.038
78	0.181
40	0.131
39	0.050
79	0.055
20	0.085
38	0.009
21	0.118
22	0.264
25	0.008
26	0.003
32	0.328
80	0.465
83	0.014
योग . .	1.749

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1969-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) नगर/ग्राम—फुटौंधा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—4.506 हेक्टेयर.

आराजी क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
555/6/1/1	0.432
555/5	0.087
555/14/1	0.147
555/14/2	0.157
555/1	0.359
556/4	0.280
556/12	0.329
556/5	0.151
558	1.650
563/3	0.021
556/3 556/11/ka 556/11/kha 556/11/ga	0.214
563/1/ka 563/1/kha 563/1/ga	0.460
566	0.219
योग . .	4.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है —मझगवां शाखा नहर फेज (प्रथम) नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 14 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2259-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—मगराज
(घ) क्षेत्रफल—3.474 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
323	0.013
322	0.003
325	0.045
326	0.001
320	0.296
319	0.197
321	0.150
318	0.035
317	0.124
361	0.122
316	0.144
362	0.004
364	0.042
311	0.005
365	0.157
371	0.050
370	0.164
366	0.138
369	0.001
368	0.020
367	0.007
308	0.007
305	0.269
306	0.020
302	0.186
297	0.014
301	0.146
300	0.249
299	0.001
11	0.001

(1)	(2)
7	0.024
8	0.469
9	0.204
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	3.308
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
324/777	0.096
324	0.070
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.166
अ+ब का योग . .	3.474

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2261-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—पोड़ी खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—6.052 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
352	0.035
351	0.570
346	0.198
343	0.159
347	0.053
342	0.125
340	0.004
341	0.028
333	0.066
331	0.068
330	0.063
329	0.073
325	0.051
324	0.133
323	0.017
322	0.288
321	0.013
425	0.320
426	0.029
427	0.079
288	0.031
287	0.193
429	0.013
286	0.039
285	0.037
284	0.096
280	0.204
279	0.117
233	0.144
249/662	0.070
248	0.098
234	0.009
237	0.031
236	0.114
235	0.331
240	0.026
184	0.154
182	0.130
178	0.113
173	0.001
179	0.035
174	0.182
175	0.020
156	0.041
157	0.072
155	0.045
158	0.136
129	0.194
126	0.219
127	0.017
122	0.569
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.853

(1)	(2)
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
290	0.031
183	0.017
172	0.002
177	0.042
176	0.032
123	0.075
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.199
अ+ब का योग . .	6.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2263-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—विधुई कला
(घ) क्षेत्रफल—2.426 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
243/375	0.094
240	0.007
243	0.610
298/355	0.103
298/354	0.094
342	0.016
298	0.089
297	0.028
292	0.293
291	0.038
284	0.012
285	0.205
286	0.060
289	0.019
313	0.252
314	0.189
270	0.007
315	0.083
317	0.028
316	0.001
318	0.113
267	0.020
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.361
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
347	0.065
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.065
अ+ब का योग . .	2.426

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2265-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—दादर-264

(घ) क्षेत्रफल—0.157 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
808	0.044
805	0.029
661	0.084
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.157
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.157

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2267-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—धौरहरा-304

(घ) क्षेत्रफल—0.742 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
34	0.028
35	0.127
31	0.036
29	0.450
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.641
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
33	0.101
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.101
अ+ब का योग . .	0.742

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2269-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—रेरूआ-558

(घ) क्षेत्रफल—0.049 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
439/2	0.049
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.049
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2271-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बड़ागांव 411
(घ) क्षेत्रफल—6.341 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1077	0.031
1076	0.058
1080	0.066
1079	0.026
1084	0.303
1330	0.084
1324	0.168
1329	0.001
1327	0.058
1326	0.056
1325	0.039
1333	0.033
1347	0.078
1346	0.018
1350	0.234
1353	0.001
1387	0.012
1386	0.025
1385	0.053
1388	0.045
1389	0.020
1384	0.020
1390	0.027
1383	0.026
1415	0.127
1417	0.031
1414	0.019
1418	0.006
1413	0.049
1430	0.063
1431	0.099
1432	0.134
2121	0.040
2043	0.016
2040	0.118
1435	0.004
1437	0.018
1438	0.109
1451	0.059
1450	0.001
1452	0.064
1467	0.001
1453	0.006
1455	0.152
1456	0.011
1457	0.005
1458	0.060
1999	0.005
1319	0.178
1089	0.003
1318	0.063
1315	0.026
1316	0.065
1313	0.072
1308	0.051
1309	0.032
1302	0.080
1300	0.106
1295	0.046
1294	0.076
1292	0.001
1285	0.069
1286	0.104
1287	0.009
1543	0.252
1690	0.061
1691	0.001

(1)	(2)
1688	0.001
1692	0.022
1693	0.098
1686	0.039
1685	0.045
1740	0.017
1739	0.013
1738	0.034
1737	0.003
1736	0.018
1714	0.011
1735	0.144
1734	0.015
1731	0.075
1732	0.013
1733	0.013
1730	0.029
1729	0.002
1728	0.048
1727	0.011
1721	0.072
1722	0.066
1723	0.103
1238	0.070
1239	0.110
1227	0.064
1219	0.120
1220	0.089
1215	0.047
1217	0.001
1210	0.035
1216	0.076
2297	0.186
2298	0.005
2296	0.003
2299	0.011
2268	0.048
2267	0.263
2260	0.003
2308	0.039
2259	0.008
2249	0.002
2248	0.002
2309	0.007
2247	0.062
2250	0.001
2251	0.001
2252	0.001
2253	0.001
2216	0.001
2217	0.001
2218	0.001
2246	0.005
2219	0.037
2220	0.001
2221	0.028
2005	0.021
2001	0.012
2010	0.002
2007	0.014
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	6.244

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1486	0.012
2045	0.016
2222	0.031
1544	0.012
1724	0.022
1899	0.004
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.097
अ+ब का योग . .	6.341

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 8, 9 एवं 10'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2273-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—रीठी 554
(घ) क्षेत्रफल—4.825 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
513	0.100
512	0.044
514	0.062
524	0.095
523	0.023
625	0.089
632	0.023
631	0.065
644	0.334
645	0.013
646	0.103
1079	0.081
1080	0.007
1094	0.062
1093	0.013
1095	0.003
1096	0.026
1103	0.002
1097	0.021
1098	0.009
1102	0.021
1099	0.004
1101	0.022
1100	0.024
1121	0.019
1299	0.020
1300	0.025
1304	0.046
(1)	(2)
1305	0.011
1308	0.002
1309	0.047
1306	0.002
1310	0.006
1311	0.026
1323	0.011
1322	0.022
1321	0.006
1317	0.016
1320	0.064
1319	0.013
1318	0.060
1280	0.021
1279	0.007
1278	0.030
643	0.149
641	0.001
640	0.006
636	0.023
638	0.073
637	0.033
655	0.023
656	0.107
658	0.082
690	0.031
689	0.054
692	0.078
688	0.007
699	0.074
700	0.080
701	0.023
716	0.073
702	0.053
709	0.066
853	0.049
851	0.141
850	0.012
859	0.108
882	0.023
860	0.014

(1)	(2)
861	0.029
881	0.006
844	0.003
880	0.088
879	0.008
862	0.051
863	0.014
835	0.121
816	0.029
815	0.006
817	0.027
818	0.069
819	0.026
830	0.011
829	0.010
828	0.055
826	0.019
825	0.020
831	0.046
515	0.002
628	0.023
647	0.065
1005	0.076
1006	0.025
1007	0.011
1008	0.020
1004	0.009
1018	0.130
1017	0.121
1016	0.100
1020	0.022
1023	0.017
1024	0.019
1025	0.052
1026	0.009
1050	0.004
1047	0.079
1046	0.029
1077	0.088
1081	0.005
1082	0.005
626	0.022
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.654

ब—म. प्र. शासन की भूमि

613	0.012
614	0.022
615	0.018
708	0.050
712	0.034
852	0.030
858	0.005
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.171
अ+ब का योग . .	4.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र, 13" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2275-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—जोकिहा 211
(घ) क्षेत्रफल—0.946 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

अ—निजी पट्टे की भूमि

469	0.097
476	0.163
477	0.010
455	0.241

(1)	(2)
454	0.006
453	0.197
497	0.012
498	0.049
501	0.044
502	0.005
440	0.047
439	0.042
438	0.009
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.922
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
468	0.024
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.024
अ+ब का योग . .	0.946

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2277-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ
(ग) ग्राम—रकरिया 542
(घ) क्षेत्रफल—4.717 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
188	0.188
189	0.082
200	0.006
199	0.087
205	0.058
203	0.028
174	0.016
173	0.022
172	0.025
24	0.041
171	0.009
150	0.118
157	0.002
158	0.013
159	0.114
143	0.005
142	0.091
141	0.011
139	0.093
138	0.044
137	0.008
288	0.042
287	0.007
290	0.06
303	0.209
304	0.002
302	0.01
301	0.01
312	0.015
311	0.058
285	0.007
310	0.007
314	0,.115
453	0.001
452	0.008
451	0.123

(1)	(2)
450	0.015
321	0.096
361	0.016
323	0.047
346	0.29
350	0.02
349	0.012
348	0.05
347	0.043
370	0.028
376	0.12
371	0.013
375	0.01
374	0.176
389	0.156
385	0.041
388	0.127
378	0.001
176	0.155
178	0.005
177	0.009
449	0.054
456	0.005
448	0.078
433	0.033
432	0.047
431	0.053
429	0.029
403	0.062
410	0.011
404	0.033
408	0.03
407	0.103
406	0.046
782	0.073
783	0.033
779	0.007
784	0.006
778	0.047
777	0.038
776	0.003
651	0.072
650	0.002
654	0.029
655	0.029
656	0.007
657	0.07
658	0.007
671	0.076
673	0.132
751	0.107
675	0.037
750	0.002
746	0.061
747	0.015
748	0.009
863	0.017
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.628

ब—म. प्र. शासन की भूमि

866	0.012
674	0.014
649	0.018
400	0.017
170	0.028
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.089
अ+ब का योग . .	4.717

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2279-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—खजुहा 119

(घ) क्षेत्रफल—8.667 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
2478	0.038
2481	0.035
2479	0.047
2484	0.138
2483	0.001
2485	0.144
2486	0.036
2487	0.057
2505	0.025
2497	0.004
2503	0.049
2498	0.099
2500	0.093
2496	0.008
2495	0.154
2574	0.019
2573	0.019
2575	0.156
2568	0.013
2567	0.072
2566	0.070
2903	0.014
2898	0.052
2899	0.063
2913	0.062
2917	0.003
2916	0.066
2920	0.052
2932	0.005
2941	0.070
2936	0.042
2935	0.049
1036	0.087
1058	0.037
1060	0.041
1059	0.007
1063	0.102
1064	0.020
1067	0.041
1066	0.053
1069	0.046
1070	0.048
1071	0.041
1072	0.052
1105	0.180
1107	0.013
1146	0.020
1151	0.086
1152	0.133
818	0.128
817	0.080
782	0.004
778	0.060
779	0.018
654	0.048
749	0.004
780	0.005
773	0.006
774	0.003
770	0.124
771	0.003
750	0.024
769	0.001
752	0.038
751	0.126
753	0.043

(1)	(2)	(1)	(2)
655	0.026	1483	0.018
656	0.003	1481	0.082
597	0.039	1150	0.092
658	0.014	1155	0.055
657	0.001	1157	0.093
591	0.033	1160	0.063
587	0.005	1170	0.077
586	0.080	1169	0.072
585	0.003	1176	0.038
660	0.004	1177	0.050
659	0.020	1191	0.048
580	0.046	1190	0.078
578	0.009	1209	0.034
577	0.150	1188	0.028
575	0.021	1211	0.048
573	0.048	1218	0.022
572	0.036	1217	0.040
571	0.061	1220	0.038
567	0.043	1249	0.031
562	0.032	1246	0.072
564	0.058	1244	0.089
565	0.059	1245	0.005
543	0.030	1243	0.101
542	0.019	1239	0.093
1384/3024	0.052	1653	0.075
1384	0.071	1652	0.112
1382	0.005	1649	0.046
1383	0.072	1648	0.048
1381	0.027	1657	0.080
1379	0.019	1661	0.036
1369	0.060	1662	0.050
1378	0.002	1663	0.055
1375	0.123	1639	0.056
1376	0.088	1637	0.032
1492	0.078	1636	0.013
1491	0.069	1674	0.072
1490	0.049	1678	0.034
1486	0.012	1679	0.007
1487	0.185	1680	0.122
1485	0.013	1683	0.074
1499	0.113	1684	0.005

(1)	(2)
1687	0.069
1689	0.076
1696	0.007
1697	0.001
1717	0.118
1153	0.016
1156	0.017
1482	0.037
2918	0.003
1108	0.020
1109	0.014
1110	0.001
1133	0.079
1134	0.095
1136	0.049
1145	0.079
1144	0.087
754	0.001
592	0.013
576	0.004
1498	0.014
1500	0.122
1501	0.015
1502	0.014
570	0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	8.595
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
2517	0.033
2934	0.003
1224	0.020
1016	0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.072
अ+ब का योग . .	8.667

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 10 एवं 11'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2281-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ

(ग) ग्राम—महसांव 501

(घ) क्षेत्रफल—5.718 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
197	0.072
195	0.008
187	0.056
153	0.157
158	0.262
160	0.027
161	0.179
169	0.186
167	0.198
444	0.233
443	0.009
442	0.122
440	0.014
432	0.187
433	0.070
434	0.123
423	0.060
425	0.046
421	0.050
420	0.026

(1)	(2)	(1)	(2)
413	0.221	1002	0.183
412	0.068	1007	0.059
411	0.017	1008	0.006
410	0.059	1040	0.096
645	0.165	1041	0.005
644	0.022	1042	0.076
702	0.093	1043	0.085
701	0.014	2414	0.004
700	0.076	2415	0.004
699	0.004	2416	0.006
696	0.080	2417	0.006
697	0.011	2418	0.006
695	0.075	2419	0.007
687	0.035	2420	0.020
688	0.042	2421	0.011
686	0.059	2422	0.020
1181	0.022	2423	0.014
1182	0.071	2424	0.012
1180	0.076	2425	0.013
1177	0.038	2426	0.013
1175	0.002	2427	0.016
1174	0.035	2428	0.014
1157	0.014	2429	0.017
1268	0.003	2430	0.016
1149	0.118	2431	0.010
1143	0.128	2432	0.011
1255	0.098	2433	0.010
1256	0.001	2434	0.009
1257	0.126	2435	0.013
1266	0.002	2436	0.004
1267	0.039	2437	0.003
1269	0.109	2438	0.002
1105	0.017	3336	0.004
1106	0.079	3337	0.014
1101	0.030	3338	0.032
1100	0.028	3339	0.028
1099	0.090	3340	0.020
1097	0.023	3341	0.016
1098	0.031	3342	0.003
1004	0.034	1163	0.024
1001	0.017	1164	0.010

(1)	(2)
1165	0.006
1159	0.088
1158	0.001
720	0.013
1154	0.004
1153	0.141
1152	0.035
1150	0.051
1173	0.002
1166	0.002
1045	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.625

ब—म. प्र. शासन की भूमि

103	0.028
294	0.019
295	0.032
1194	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.093
अ+ब का योग . .	5.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 11 एवं 12'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2283-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—नौवा 275

(घ) क्षेत्रफल—0.704 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
240	0.068
241	0.064
243	0.062
242	0.090
235	0.008
223	0.066
222	0.026
221	0.032
220	0.004
249/194	0.130
194	0.084
193	0.008
104	0.062
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.704
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2285-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—अतरैला 17

(घ) क्षेत्रफल—1.004 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
10	0.108
9	0.006
7	0.026
5	0.067
2	0.012
17	0.055
18	0.005
1	0.009
11	0.008
34	0.010
33	0.015
44	0.056
32	0.001
31	0.012
30	0.063
29	0.003
139	0.020
127	0.021
126	0.003
151	0.023
150	0.029
149	0.002
152	0.016
147	0.033
159	0.019
166	0.001
167	0.006
170	0.030
235	0.005
237	0.090
236	0.042
233	0.005
243	0.050
232	0.006
244	0.001
245	0.015
246	0.017
262	0.027
247	0.001
248	0.020
249	0.014
250	0.016
251	0.028
16	0.007
140	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.004
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	1.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2287-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा .

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—पथरहा 357

(घ) क्षेत्रफल—8.088 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1614	0.004
1604	0.012

(1)	(2)
1601	0.316
1600	0.016
1599	0.240
1590	0.019
1585	0.007
1589	0.004
1584	0.329
1586	0.001
1583	0.259
1580	0.020
1395	0.011
1396	0.360
1397	0.019
1398	0.016
1412	0.027
1411	0.403
1409	0.030
1410	0.084
1406	0.112
1436	0.001
1437	0.125
1440	0.091
1442	0.085
1444	0.080
1448	0.126
1447	0.106
1454	0.027
1455	0.022
1204	0.032
1203	0.019
1205	0.029
1206	0.032
1207	0.043
1196	0.045
1195	0.121
1188	0.108
1177	0.107
1178	0.025
1173	0.116
1167	0.026

(1)	(2)
1168	0.108
1169	0.110
1165	0.008
1164	0.011
1159	0.009
1587	0.006
1588	0.101
1608	0.005
1390	0.043
1389	0.008
1388	0.070
1387	0.014
1386	0.007
1385	0.051
1384	0.011
1383	0.085
1382	0.156
1377	0.006
1378	0.017
1218	0.011
1219	0.054
1227	0.024
1228	0.052
1230	0.039
1241	0.006
1240	0.045
1238	0.006
1237	0.001
1236	0.048
1270	0.046
1269	0.002
1267	0.063
1268	0.005
1405	0.009
1502	0.125
1500	0.117
1513	0.025
1514	0.057
1515	0.005
1516	0.014

(1)	(2)
1518	0.062
1521	0.002
1520	0.027
1089	0.038
1090	0.016
1091	0.009
1092	0.003
1093	0.019
1094	0.018
751	0.041
752	0.050
753	0.021
731	0.009
754	0.089
1027	0.042
1025	0.019
1024	0.018
1020	0.085
1019	0.075
777	0.056
778	0.028
791	0.033
789	0.081
792	0.008
988	0.122
986	0.032
987	0.032
985	0.001
1166	0.054
1139	0.121
1138	0.001
632	0.011
631	0.012
633	0.050
634	0.006
638	0.042
320	0.039
637	0.001
321	0.022
324	0.025
323	0.026
312	0.033
311	0.020
310	0.040
308	0.035
307	0.017
304	0.010
303	0.033
302	0.004
294	0.018
295	0.018
293	0.012
290	0.002
291	0.019
275	0.102
274	0.005
273	0.082
272	0.005
158	0.065
161	0.061
162	0.017
163	0.013
168	0.039
169	0.023
185	0.006
184	0.068
186	0.011
189	0.025
188	0.017
215	0.038
218	0.002
216	0.065
526	0.047
523	0.125
522	0.067
498	0.008
503	0.092
502	0.084
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	8.009
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
1170	0.014
1171	0.007

(1)	(2)
1622/1501	0.052
327	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.079
अ+ब का योग . .	8.088

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2289-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—कछिगवां 79

(घ) क्षेत्रफल—0.700 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
73	0.112
75	0.005
97	0.014
94	0.023
96	0.022
95	0.007
103	0.001
113	0.094
115	0.033
123	0.021
124	0.022
125	0.005
119	0.032
120	0.017
121	0.003
106	0.010
111	0.034
109	0.054
133	0.001
135	0.025
137	0.039
140	0.016
139	0.016
143	0.010
144	0.025
150	0.015
151	0.005
152	0.023
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.684
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
122	0.016
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
अ+ब का योग . .	0.700

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2291-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—ढ़ाढ़र 219
(घ) क्षेत्रफल—2.118 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
130	0.020
133	0.518
131	0.001
98	0.189
97	0.010
88	0.228
85	0.267
84	0.010
83	0.065
82	0.056
80	0.004
81	0.072
79	0.113
73	0.304
78	0.010
77	0.004
75	0.237
76	0.010
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.118
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	2.118

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2293-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—रघुराजगढ़-574
(घ) क्षेत्रफल—0.205 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
692	0.205
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.205
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.205

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती मुख्य नहर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2295-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—तमहा 256
(घ) क्षेत्रफल—2.459 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
88	0.002
89	0.019

(1)	(2)
86	0.524
90	0.048
191	0.130
190	0.010
109	0.361
172	0.038
171	0.001
110	0.100
111	0.013
112	0.202
113	0.051
115	0.286
119	0.034
120	0.002
118	0.019
123	0.156
124	0.016
169	0.001
49	0.246
48	0.025
47	0.126
126	0.001
127	0.020
241/118	0.028
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.459
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	2.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2297-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—बक्छेरा 405

(घ) क्षेत्रफल—2.918 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
44	0.038
46	0.001
45	0.232
64	0.198
61	0.006
55	0.006
65	0.009
73	0.083
184	0.054
183	0.038
76	0.019
77	0.066
178	0.022
175	0.045
176	0.033
177	0.001
201	0.159
294	0.004
292	0.032
293	0.042
296	0.007
297	0.010
290	0.132
299	0.002
289	0.004
284	0.106
286	0.029
285	0.018
574	0.026
575	0.144
700	0.101
703	0.023

(1)	(2)
699	0.006
706	0.051
697	0.004
695	0.056
736	0.015
762	0.035
764	0.015
763	0.092
770	0.072
1593/717	0.010
771	0.008
772	0.057
769	0.018
675	0.050
677	0.018
676	0.042
670	0.133
669	0.055
650	0.001
668	0.100
659	0.021
1592/660	0.027
631	0.015
630	0.115
81	0.001
174	0.015
173	0.028
694	0.001
765	0.010
766	0.003
667	0.004
661	0.053
629	0.002
767	0.003
56	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.827
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
47	0.001
57	0.050
696	0.026
773	0.014
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.091
अ+ब का योग . .	2.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18 एवं 19" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2299-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—पहाड़िया 365
(घ) क्षेत्रफल—2.359 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
84	0.012
83	0.123
80	0.058
78	0.061
77	0.089
1105	0.001
1106	0.009
1107	0.073
1108	0.068
114	0.011
115	0.080
108	0.072
109	0.016
104	0.016
103	0.052
1061	0.046
1062	0.054
1060	0.022
1066	0.001

(1)	(2)
1067	0.039
1068	0.015
1069	0.009
1071	0.105
1072	0.013
1078	0.037
1079	0.013
1077	0.001
1161	0.030
1162	0.074
1166	0.039
1167	0.058
1168	0.033
1197	0.066
1169	0.003
1171	0.181
1172	0.002
51	0.064
52	0.024
53	0.019
54	0.022
55	0.096
56	0.042
65	0.046
60	0.001
64	0.010
61	0.061
62	0.016
72	0.001
120	0.059
121	0.016
119	0.037
118	0.023
1063	0.001
1056	0.028
110	0.034
111	0.049
93	0.011
94	0.071
96	0.001
95	0.026
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.340

ब—म. प्र. शासन की भूमि

1158	0.013
1176	0.006
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.019
अ+ब का योग . .	2.359

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2301-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—खरहरी 125
(घ) क्षेत्रफल—2.684 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
634	0.155
633	0.043
621	0.026
622	0.054
632	0.049
631	0.035
635	0.055
623	0.041
627	0.001
626	0.072
625	0.028
592	0.001
593	0.136
587	0.001

(1)	(2)
595	0.157
594	0.001
583	0.024
580	0.020
582	0.009
581	0.007
577	0.036
576	0.047
541	0.035
539	0.075
537	0.042
536	0.056
513	0.005
511	0.008
514	0.088
510	0.001
509	0.010
402	0.015
403	0.098
404	0.038
478	0.078
476	0.072
452	0.043
474	0.008
453	0.042
461	0.098
460	0.009
462	0.003
463	0.119
248	0.019
247	0.132
246	0.052
512	0.094
475	0.011
538	0.039
547	0.087
550	0.133
556	0.154
483	0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.668

ब—म. प्र. शासन की भूमि

543	0.004
551	0.012
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
अ+ब का योग . .	2.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2303-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—अमिलिया 16
(घ) क्षेत्रफल—2.538 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
913	0.180
820	0.083
818	0.059
824	0.033
825	0.102
847	0.126
848	0.029
902	0.063
901	0.027
900	0.096
898	0.119
868	0.091
896	0.018

(1)	(2)
891	0.005
895	0.071
873	0.043
874	0.103
875	0.006
759	0.085
757	0.123
745	0.143
733	0.124
748	0.015
731	0.070
730	0.042
728	0.040
727	0.066
476	0.032
9	0.044
14	0.016
108	0.021
107	0.011
106	0.010
37	0.009
38	0.012
93	0.024
91	0.014
92	0.013
147	0.006
148	0.005
149	0.008
89	0.022
151	0.033
85	0.004
152	0.011
826	0.003
867	0.072
756	0.004
10	0.004
13	0.005
16	0.001
15	0.016
18	0.008
39	0.021
40	0.002
54	0.007
90	0.001
153	0.002
719	0.003
720	0.013
718	0.005
666	0.017
717	0.007
709	0.015
670	0.011
708	0.012
711	0.020
707	0.013
822	0.001
119	0.004
821	0.005
150	0.002
216	0.001
199	0.003
155	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.538
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	2.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 18" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2305-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—टीकर-227
(घ) क्षेत्रफल—0.822 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
3906/2230	0.822
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.822
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.822

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2307-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—परसा-348
(घ) क्षेत्रफल—0.216 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
115	0.029
116	0.001
114	0.026
144	0.001
111	0.002
145	0.047
95	0.008
154	0.001
155	0.001
156	0.001
157	0.009
151	0.001
158	0.002
276	0.085
275	0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.216
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2309-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—गड़रिया-154
(घ) क्षेत्रफल—0.781 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
315	0.056
316	0.009
311	0.385

(1)	(2)
353	0.007
354	0.011
350	0.042
379	0.009
380	0.019
397	0.010
381	0.012
393	0.006
382	0.003
391	0.026
392	0.004
386	0.005
387	0.005
388	0.008
389	0.014
390	0.002
405	0.020
406	0.014
407	0.007
408	0.006
411	0.005
412	0.015
410	0.003
438	0.013
413	0.005
414	0.011
432	0.002
431	0.005
423	0.006
418	0.020
419	0.013
417	0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.781
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.0.781

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत रतहरा वितरक के माइनर क्र. 17" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2311-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सगरा 579
(घ) क्षेत्रफल—6.287 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
624	0.202
623	0.048
622	0.119
619	0.041
620	0.054
617	0.226
616	0.005
615	0.122
668	0.156
667	0.054
665	0.142
661	0.143
660	0.087
662	0.047
654	0.157
651	0.012
653	0.111
866	0.117
868	0.009
869	0.216
910	0.027
909	0.068
912	0.150
907	0.004
913	0.040
2181	0.078

(1)	(2)	(1)	(2)
2184	0.026	2259	0.003
2185	0.032	2369	0.054
2186	0.088	2279	0.025
2170	0.104	2280	0.001
2187	0.048	2363	0.007
2169	0.049	2360	0.012
2246	0.077	2364	0.001
2245	0.101	2362	0.005
2240	0.001	2361	0.014
2480/2222	0.126	2359	0.048
2227	0.202	2358	0.005
2420	0.077	2341	0.009
2421	0.063	595	0.157
2428	0.050	594	0.001
2453	0.019	593	0.002
2455	0.022	592	0.019
2458	0.023	589	0.008
2459	0.059	588	0.001
2460	0.047	590	0.011
2461	0.005	584	0.011
2462	0.128	591	0.050
918	0.038	583	0.009
919	0.039	570	0.028
921	0.022	599	0.015
922	0.066	568	0.004
917	0.014	567	0.020
937	0.046	600	0.015
938	0.159	566	0.020
2156	0.040	672	0.037
2153	0.041	565	0.021
2165	0.023	698	0.021
2164	0.066	697	0.010
2163	0.004	696	0.015
2151	0.078	693	0.015
2150	0.103	695	0.001
2149	0.055	694	0.004
2148	0.001	691	0.012
2127	0.010	690	0.009
2126	0.040	687	0.001
2123	0.007	686	0.005
2125	0.020	692	0.004
2261	0.013	685	0.005
2257	0.053	683	0.007
2260	0.004	684	0.025

(1)	(2)
682	0.013
681	0.027
705	0.060
704	0.001
706	0.012
845	0.003
844	0.012
846	0.028
847	0.019
848	0.033
859	0.040
969	0.001
2188	0.020
2424	0.002
843	0.006
2235	0.016
2256	0.025
2255	0.003
2254	0.027
2258	0.055
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	5.874
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
640	0.087
2241	0.240
2429	0.041
596	0.045
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.413
अ+ब का योग . .	6.287

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2313-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) ग्राम—नवागॉव 314

(घ) क्षेत्रफल—2.460 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
791	0.139
794	0.019
798	0.114
797	0.002
801	0.092
803	0.074
804	0.011
726	0.226
725	0.093
802	0.055
796	0.038
727	0.107
729	0.065
730	0.038
712	0.156
709	0.055
710	0.001
711	0.073
714	0.021
715	0.037
716	0.018
615	0.064
614	0.107
611	0.005
613	0.064
597	0.068
598	0.097

(1)	(2)
599	0.062
600	0.055
589	0.095
588	0.084
793	0.002
795	0.011
800	0.017
596	0.001
594	0.001
592	0.147
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	2.314
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
728	0.146
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.146
अ+ब का योग . .	2.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2315-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—पुरैना 380
(घ) क्षेत्रफल—1.375 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्ट. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
540	0.103
548	0.282
408	0.071
424	0.136
425	0.036
426	0.093
423	0.003
436	0.012
438	0.019
435	0.047
458	0.033
730	0.017
731	0.008
728	0.015
443	0.011
455	0.008
447	0.021
454	0.006
453	0.005
451	0.006
448	0.011
449	0.013
336	0.018
333	0.007
335	0.001
334	0.003
699	0.015
332	0.014
761	0.012
700	0.019
758	0.010
757	0.017
756	0.003
755	0.009
701	0.010
754	0.023

(1)	(2)
751	0.012
709	0.002
750	0.006
749	0.005
727	0.006
721	0.010
726	0.008
724	0.010
723	0.009
930	0.002
931	0.045
932	0.015
759	0.001
752	0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.249
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
428	0.101
351	0.025
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.126
अ+ब का योग . .	1.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2317-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—भांटी-472
(घ) क्षेत्रफल—0.550 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
1211	0.010
1216	0.232
1217	0.058
1215	0.005
1136	0.047
1135	0.007
1223	0.026
1222	0.003
1224	0.022
1228	0.051
1221	0.001
1229	0.003
1232	0.041
1235	0.002
1238	0.016
1237	0.026
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.550
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ+ब का योग . .	0.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 19'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. Q-RA-1-एक-7-3-15 (भाग-एक).—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5017-एक-7-3-2015 (भाग-एक) जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2015 एवं रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक बी-5675-एक-7-3-2015 (भाग-एक), जबलपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में ईद-उल-जुहा के अवसर पर दिनांक 12 सितम्बर 2016 (सोमवार) के पूर्व घोषित अवकाश के स्थान पर दिनांक 13 सितम्बर 2016 (मंगलवार) को अवकाश घोषित किया जाता है.

उक्त परिवर्तित अवकाश के फलस्वरूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 12 सितम्बर 2016 को कार्यदिवस रहेगा.

Jabalpur, the 15th September 2016

No. 926-Confdl.-2016-II-2-1-2016.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Workshop on Cyber Law & Electronic Evidence** for the Judges of District Judiciary on **15 October 2016 & 16 October 2016** in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Conditions for the Workshop :—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the Workshop shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by **9:30 a.m. on 15th October 2016** in the Lecture Room of Madhya Pradesh State Judicial Acadecy, Jabalpur.
3. The participants shall come soberly dressed during entire duration of the Workshop.
4. T. A. & D. A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
5. The Academy shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging and boarding of the participants in the Guest House of the Acedemy.

   Date, mode and time of arrival of the participants may be conveyed to **Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. I** on Mobile No. 08878747939 or to **Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. III** on telephone No. **0761-2628679** or **Shri Pramod Kushwaha, A. G. III** on Mobile No. **09713717147** at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made.

   It may however be noted that the participants will have to make arrangement to carry their baggage to the parked vehicles. The official vehicle of the State Judicial Academy shall remain parked at the Main Entrance of Railway Station, Jabalpur **(Platform No.1 only)** as per the programme conveyed by the participants in advance.

   Arrangement of vehicle will not be made without prior intimation of arrival and departure programme received from the participants.
6. The participants in need of care shall be accommodated on the ground floor of the Guest House on prior intimation. The participants in need of special care may, with prior permission of the Academy, stay at accommodation of their choice. In such a case participants shall be entitled to T. A. & D. A. as per rules. Kindly note that it would not be possible for the Academy to make arrangement for pick up and drop back to such place of the their choice.
7. The accommodation in the Guest House of the Academy shall be available to the participants only from 12.00 noon of preceding day of commencment of training and upto 12.00 noon on the succeeding day of the end of training.
8. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the Workshops, free of charge, as per the rules of the Academy.
9. For maintaining the record, group photograph of the participants may be taken and a banner may also be prepared.
10. The participants shall send atleast three article/ presentation/research paper/judgment/order authored by them relevant to the subject for sharing and discussion in the workshop on official email of the State Judicial Academy i.e.mpjotri@gamil.com atleast three days prior to the schedule of workshop.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. 932-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री गिरीश दीक्षित, रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर.	जबलपुर	भोपाल	भोपाल	सोलहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

क्र. 933-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री विजय चन्द्रा, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	जबलपुर	रजिस्ट्रार-कम-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय, म. प्र., जबलपुर की हैसियत से श्री गिरीश दीक्षित के स्थान पर.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. B-4424-दो-3-420-80 भाग-बारह-बी.—श्री आर. पी. वर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 24 अगस्त 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2014 से 24 अगस्त 2016 तक 23 माह की ब्लाक अवधि हेतु 29 दिवस (उन्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. E-2336-दो-3-44-2013.—श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2016 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 19 से 22 अगस्त 2016 तक 04 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. E-2460-दो-3-420/80 भाग सोलह:—श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 04 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 180 दिवस (एक सौ अस्सी दिवस मात्र)के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून, 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/ इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

1.	श्री दिलीप कुमार मिश्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर का नियुक्ति दिनांक.	:	16-11-1987
2.	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक	:	04-08-2016
3.	नियुक्ति दिनांक . . . . . से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	निरंक
4.	दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	28 वर्ष, 8 माह, 18 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	निरंक
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	28=14×15=210 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	210 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.	:	30 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. (सेवानिवृत्ति दिनांक 04-08-2016 को शेष अर्जित अवकाश 230 दिन).	:	180 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 917-गोपनीय-2016-दो-3-250/57 (भाग-34).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थी को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठाकांन क्रमांक 3 (बी) 02-2014-इक्कीस-ब (एक) (अनुपूरक सूची मेरिट क्रमांक 03), दिनांक 30 अगस्त 2016 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री यश कुमार सिंह	झाबुआ	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,झाबुआ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 924-गोपनीय-2016-दो-3-70/60.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 11(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों को व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के प्रवर्ग में स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी करता है, कि उन्हें स्थायी कर दिया गया होता, किन्तु स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है, उन्हें स्थायी कर दिया जावेगा :—

सारणी

क्रमांक	नाम	पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सोनाली शर्मा	जावरा (रतलाम)
2	श्री रविन्द्र कुमार शिल्पी	भानपुरा (मंदसौर)
3	श्री सुधीर सिंह निगवाल	रीवा
4	श्री मनोज कुमार भाटी	नरसिंहपुर
5	श्री वरूण चौहान	रीवा
6	श्री सुनीत अग्रवाल	लहार (भिण्ड)
7	श्री मुकेश कुमार शिवहरे	राजनगर (छतरपुर)
8	श्री अमित नगायच	जयसिंगनगर (शहडोल)
9	श्री विजय कुमार पाठक	सबलगढ़ (मुरैना)
10	श्रीमती शक्ति वर्मा	कटनी
11	श्री सय्यद दानिश अली	जौरा (मुरैना)
12	श्रीमती आकांक्षा कत्याल	गुना
13	श्री प्रियंक भारद्वाज	ग्वालियर
14	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	सागर
15	कुमारी स्वाती बजाज	शुजालपुर (शाजापुर)
16	श्री वरूण कुमार शर्मा	दमोह
17	श्रीमती मिनी गुप्ता	शिवपुरी
18	श्रीमती स्वप्नश्री सिंह	मण्डला
19	श्री समीर कुमार मिश्रा	सागर
20	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला	भिण्ड
21	श्री रवि नायक	बुरहानपुर
22	श्री मुकेश गुप्ता	शिवपुरी
23	श्री पार्थ शंकर मिश्रा	भोपाल
24	श्री अरविन्द सिंह	निवाड़ी (टीकमगढ़)
25	श्री भूपेश कुमार मिश्रा	ग्वालियर
26	श्री अंकित श्रीवास्तव	श्योपुर
27	कुमारी श्वेता श्रीवास्तव	सतना
28	कुमारी रूचि गोलस	ग्वालियर
29	श्री प्रीतम बंसल	विदिशा
30	श्रीमती नमिता द्विवेदी	ग्वालियर
31	श्री तपन धारगा	सौंसर (छिन्दवाड़ा)
32	श्री रविन्द्र गुप्ता	राघौगढ़ (गुना)
33	श्रीमती मेघा अग्रवाल	लहार (भिण्ड)
34	श्रीमती रंजना चतुर्वेदी	ग्वालियर
35	श्री श्रीकृष्ण बुखारिया	बड़ामलहरा (छतरपुर)
36	श्री तथागत यागनिक	भैंसदेही (बैतूल)
37	श्री दिनेश मीना	बदनावर (धार)
38	श्री जय पाटीदार	पवई (पन्ना)

(1)	(2)	(3)
39	कुमारी वर्षा सूर्यवंशी	नरसिंहगढ़ (राजगढ़)
40	श्री प्रेमदीप सांकला	मऊगंज (रीवा)
41	श्री प्रदीप सोनी (जूनियर)	हरदा
42	कुमारी रूचिता गुर्जर	तराना (उज्जैन)
43	श्री जितेन्द्र मेहर	राजगढ़
44	श्री रवि चौकसे	हरदा
45	श्री पियूष भावे	बीना (सागर)
46	श्री राघवेन्द्र पटेल	नागोद (सतना)
47	श्री चन्द्रशेखर राठौर	ब्यावरा (राजगढ़)
48	श्रीमती सुरूचि रावत	बासोदा (विदिशा)
49	श्री सतीश शर्मा	लौंडी (छतरपुर)
50	श्रीमती ऋतुश्री गुप्ता	धार
51	श्री विष्णु प्रसाद सोलंकी	सैलाना (रतलाम)
52	श्रीमती संघप्रिया भद्रसेन	अशोकनगर
53	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी	सारंगपुर (राजगढ़)
54	श्री निर्भय कुमार गरवा	लौंड़ी (छतरपुर)
55	श्री राजेन्द्र कुमार अहिवार	सीधी
56	कुमारी वंदना मालवीय	महेश्वर (मण्डलेश्वर)
57	श्रीमती प्रेमलता बोराना	शुजालपुर (शाजापुर)
58	कुमारी संचिता भदकारिया	भोपाल
59	श्री धर्म कुमार	आष्टा (सीहोर)
60	श्री द्वारका प्रसाद सूत्रकार	जबलपुर
61	श्री कमलनाथ जयसिंगपुरे	कुक्षी (धार)
62	कुमारी लक्ष्मी वास्कले	बीना (सागर)
63	श्री नानसिंह ताहेड़	महू (इन्दौर)
64	कुमारी विकसिता मरकाम	महिदपुर (उज्जैन)
65	श्री बुदेसिंह सोलंकी	कुरवाई (विदिशा)
66	कुमारी उर्मिला चौहान	इंदौर
67	श्रीमती रूपाली उईके	डिण्डोरी
68	श्री दशरथ सिंह भिड़े	नसरूल्लागंज (सीहोर)
69	कुमारी सुनीता ताराम	लखनादौन (सिवनी)
70	श्री महेन्द्र सिंह रावत	थांदला (झाबुआ)
71	श्री विक्रम सिंह डावर	इंदौर
72	श्री सचिन कुमार जाधव	महू (इंदौर)
73	कुमारी संगीता डावर	खण्डवा
74	श्रीमती पुष्पा तिलगाम	गाडरवाड़ा (नरसिंहपुर)
75	कुमारी रश्मि मण्डलोई	इंदौर
76	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत	छिन्दवाड़ा
77	श्रीमती दिव्या सिंह	बालाघाट

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्र. B-4503-तीन-10-40-78(आर्थिक अपराध).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-2976-तीन-10-40-78 (आर्थिक अपराध), दिनांक 10 अप्रैल 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 7 के स्तम्भ 2 की वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नालिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का नाम	मुख्यालय	स्थानीय अधिकारिता (सिविल जिले)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, इंदौर.	इंदौर	इंदौर, झाबुआ, धार एवं अलीराजपुर.

No. B-4503-III-10-40-78- (Economic Offences).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in its Notification No. C-2976-III-10-40-78(Economic Offences) dated 10th April 2013, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification the existing entry in column No. (2) against Sr. No. 7 of the Following entry shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Presiding Officer of the Special Court	Head Quarter	Local Area (Civil Districts)
(1)	(2)	(3)	(4)
"7	Shri Rupesh Kumar Gupta, JMFC, Indore.	Indore	Indore, Jhabua, Dhar & Alirazpur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी. ई.).